किशोर सशक्तिकरण

बाल विवाह एवं बाल हिंसा रोकथाम केन्द्रित कार्यक्रम

प्रशिक्षक मार्गदर्शिका

unicef
for every child

यूनिसेफ फील्ड ऑफिस मध्य प्रदेश

दिसम्बर, 2019

इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से का उपयोग, पुर्नउपयोग और
रूपान्तरण क्रेडिट के साथ किया जा सकता है।

यूनिसेफ
प्लॉट नं. 41-42, यू.एन. हाउस, पॉलीटेक्निक कॉलोनी,
श्यामला हिल्स, भोपाल-462013
भारत
+91-755-2661555/2661556
www.unicef.org

प्रस्तावना

भारत को युवा-देश कहा जाता है। देश में 10-19 वर्ष के किशोर-किशोरियों की जनसंख्या लगभग 22 प्रतिशत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किशोरावस्था को परिभाषित करने के लिए 10 से 19 साल की उम्र-सीमा निर्धारित की गई है। यही वो समय होता है, जब उनकी उर्जा, विकास और वृद्धि को नई दिशा मिलती है। ऐसे में यह बेहद आवश्यक हो जाता है कि जीवन के इस पड़ाव में इनको उचित सलाह, मार्गदर्शन एवं एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। किशोरावस्था में कई चुनौतियाँ होती हैं जिनका सामना किशोरों को करना पड़ता है। जिसमें विकास के अवसरों का न मिलना, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता, लैंगिक भेदभाव, लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम तथा सामाजिक बंधन शामिल हैं।

आज के किशोर कल के एक जिम्मेदार और सशक्त नागिरक बने इसकी नींव बचपन से ही डाल दी जानी चाहिए तथा उनके विकास के लिए सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। बच्चों एवं किशोरों के विकास और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में महिला एवं बाल विकास के अलावा कई अन्य विभागों की भी सक्रिय भूमिका रहती है। जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग आदि। सभी विभाग के अधिकारियों को यह स्पष्ट होना जरूरी है कि बच्चों एवं किशोरों के अधिकार क्या है और इन अधिकारों को सुनिश्चित करने में उनकी क्या भूमिका है।

किशोर सशक्तिकरण : बाल विवाह व बाल हिंसा रोकथाम केन्द्रित कार्यक्रम इसी दिशा में एक प्रयास है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों को सशक्त करते हुए बाल विवाह एवं अन्य हिंसा से उनका संरक्षण करना है।

यह प्रशिक्षक मार्गदर्शिका (मॉड्यूल) विभिन्न विभागों के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों के लिए बनाया गया है और यह किशोर सशक्तिकरण, बाल विवाह, बाल संरक्षण के मुद्दों एवं विभिन्न विभागों के मध्य आपसी समन्वय निर्माण के सम्बन्ध में उनकी समझ बनाने में मदद करेगा। इस मार्गदर्शिका का उद्देश्य अधिकारियों की बाल संरक्षण के मुद्दों पर समझ विकसित करने के साथ-साथ उन्हें दूसरों की भी समझ विकसित करने हेतु सशक्त बनाना है। आशा है कि यह मार्गदर्शिका (मॉड्यूल) अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल सिद्ध होगी।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ सं.
प्रशिक्षण-परिचय	01
सत्र योजना	02
प्रशिक्षण सामग्री	
सत्र 1 : परिचय	03
सत्र 2 : किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम	04
सत्र 3 : बाल अधिकार और बाल संरक्षण: मध्य प्रदेश में स्थिति	06
सत्र 4 : बाल अधिकार और बाल संरक्षण: मध्य प्रदेश में स्थिति	09
सत्र 5 : बाल विवाह	16
सत्र 6 : बच्चों के खिलाफ हिंसा	21
सत्र 7 : संचालन कौशल	23
सत्र 8 : कार्य योजना और निगरानी	26
सत्र 9 : समेकन व समापन	27
किशोर सशिक्तकरण और बाल संरक्षण प्राथमिकताएँ	
संदर्भ सामग्री	
1 . महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका	28
2. शिक्षा विभाग की भूमिका	38
3. स्वास्थ्य विभाग की भूमिका	44
4. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका	54
5. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका	61

प्रशिक्षक मार्गदर्शिका (मॉड्यूल)

प्रशिक्षण के बारे में

मध्य प्रदेश में किशोर सशक्तीकरण और बाल विवाह निर्मूलन कार्यक्रम का एक खास मकसद बाल विवाह और बच्चों के खिलाफ हिंसा (वीएसी) में कमी लाना है। राज्य सरकार के कई विभाग किशोरों के सशक्तीकरण और बच्चों के लिए बेहतर और सुरक्षात्मक माहौल बनाने में सहयोग करते हैं। हालांकि यह माना जाता है कि किशोर सशक्तिकरण और वीएसी को संबोधित करना महिला और बाल विकास विभाग की ज़िम्मेदारी है। अपने विभागीय कामों में बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को समाहित करने के तरीकों और उसकी ज़रूरत पर अन्य विभागों के अधिकारियों की भी समझ बढ़ाने की आवश्यकता है।

यह प्रशिक्षण महिला और बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों के लिए विकसित किया गया है। यह मार्गदर्शिका बाल संरक्षण के मुद्दों, क्षेत्रीय संकेतकों पर उनके प्रभाव और विभागीय हस्तक्षेपों में उनके एकीकरण पर उनकी समझ बनाने में उनकी मदद करेगा। इस प्रशिक्षण की समाप्ति पर, अग्रिम पंक्ति वाले अथवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अधिकारियों की —

1. बाल अधिकार पर समझ और बेहतर होगी।
2. बाल विवाह और वीएसी सहित बाल संरक्षण के मुद्दों पर समझ बनेगी।
3. बाल संरक्षण के मुद्दों पर समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं, अवसरों और क्षेत्रों की पहचान कर पाएंगे।

इस मॉड्यूल का उपयोग कौन करेगा?

इस मॉड्यूल का उपयोग 5 चिन्हित विभागों के जिला स्तर के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा किया जाना है।

कितने सहभागी होंगे?

प्रत्येक बैच के लिए अधिकतम 30-35 सहभागी और अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के लिए अलग-अलग बैच, जो प्रशिक्षकों को सभी सहभागियों के साथ बातचीत करने और उन्हें प्रभावी मार्गदर्शन देने में सहायक साबित होंगे।

प्रशिक्षण की समय-सीमा

एक दिन 5-6 घंटे (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक) जिसमें छोटे अंतराल (ब्रेक) भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण सत्र योजना

एक-दिवसीय जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स / स्रोत समूह हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

समय	विषय	सत्र	पद्धति, आवश्यक सामग्री
10:00 - 10:30	पंजीयन		
10:30 - 10:45	उद्घाटन	स्वागत संबोधन, कार्यशाला का उद्देश्य मुख्य संबोधन	विभाग के वरिष्ठ / समन्वय अधिकारी या विभाग प्रमुख
10:45 - 11:15	परिचय	प्रशिक्षक और सहभागियों का परिचय	जोड़ी में साक्षात्कार पेपर और पेन
11:15 - 12:00	किशोर सशक्तिकरण कार्यक्रम	किशोरावस्था और उनसे संबंधित मुद्दों को समझना, किशोर सशक्तीकरण कार्यक्रम के औचित्य (कारण), उद्देश्य और रणनीति	समूहों में विचार विमर्श पावर पॉइंट प्रस्तुति
12:00 - 01:00	बाल अधिकार और बाल संरक्षण: मध्य प्रदेश में स्थिति	बच्चों से जुड़े जोखिमों को समझना विभिन्न जोखिमों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना	समूह अभ्यास – (वलनेरेबिलिटी वॉक एक्सरसाइज) जोखिम-स्थिति विश्लेषण अभ्यास
01:00- 01:45	भोजन अवकाश		
01:45- 02:30	बाल अधिकार और बाल संरक्षण: मध्य प्रदेश में स्थिति	बाल अधिकार को समझना बाल संरक्षण को समझना प्रमुख सुरक्षा मुद्दों की पहचान करना	विचार विमर्श और बड़े समूह में चर्चा, पावर पॉइंट प्रस्तुति, समूह कार्य और प्रस्तुति
02:30 - 02:45	चाय अवकाश		
02:45 - 03:15	बाल विवाह	बाल विवाह को समझना पीसीएमए (PCMA) के प्रावधान कार्रवाई के लिए रणनीति	केस स्टडी, चर्चा और पावर पॉइंट प्रस्तुति
03:15 - 04:00	बच्चों के खिलाफ हिंसा	बच्चों के खिलाफ हिंसा को समझना और कार्रवाई के लिए रणनीति	पावर पॉइंट प्रस्तुति और चर्चा
04:00 - 04:30	संचालन कौशल	संचालन कौशल को समझना	पावर पॉइंट प्रस्तुति और चर्चा
04:30 - 05:00	कार्य योजना और निगरानी	योजना निर्माण	समूह चर्चा, प्रस्तुति
05:00 - 05:30	समेकन व समापन		प्रस्तुति, वीडियो क्लिप

सत्र 1. परिचय

अवधि:
30 मिनट

सत्र के परिणाम: इस सत्र के अंत में, सहभागी सक्षम होंगे —

- एक-दूसरे को जानने में।
- प्रशिक्षक को जानने में।

पद्धति: जोड़ी साक्षात्कार।

आवश्यक सामग्री: पेपर और पेन।

प्रक्रिया:

- सहभागियों की जोड़ियाँ बनाएँ।
- प्रत्येक सहभागी को निम्न सवालों का इस्तेमाल करते हुए अपने साथी का साक्षात्कार करने के लिए कहें-
  - ➢ आपका नाम क्या है?
  - ➢ आपका पद क्या है?
  - ➢ आपकी पृष्ठभूमि और अनुभव क्या है?
  - ➢ पिछले एक साल में कोई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि?

सहभागियों को जोड़े में साझा करने के लिए 10 मिनट का समय दें।

निर्देश : **जोड़ियों को बड़े समूह में वापस लौटने और उन्होंने अपने सहयोगियों के बारे में जो कुछ जाना है उसे बताने के लिए कहें।**

मास्टर ट्रेनर्स के लिए सलाह:

- सहजकर्ता / स्रोत व्यक्ति को भी एक जोड़ी बनानी चाहिए और ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार गतिविधि का हिस्सा बनना चाहिए।
- सहभागियों को उनके सहयोगियों द्वारा बताई गई जानकारी में कुछ जोड़ने के लिए कहा जा सकता है अगर उन्हें लगता है कि उनके बारे में बताते समय कोई भी पहलू / प्रासंगिक बिंदु छूट गया है।
- अगर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन के लिए समय कम है, तो परिचय सत्र को संशोधित करें। बोर्ड या चार्ट पेपर पर सवाल लिखें और सभी सहभागियों से निम्नानुसार जानकारी देते हुए अपना परिचय देने के लिए कहें-
  - ○ नाम
  - ○ पद / विभाग
  - ○ आज की कार्यशाला के साथ वह अपने अनुभव को कैसे जोड़कर देखते हैं।

सत्र 2. किशोर सशक्तीकरण कार्यक्रम

अवधि:
45 मिनट

सत्र के परिणाम: इस सत्र के अंत में, सहभागी सक्षम होंगे —

- किशोरावस्था और किशोरों को जिन मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है को समझने में।
- किशोर सशक्तीकरण कार्यक्रम के औचित्य, उद्देश्यों और रणनीतियों को समझने में।

पद्धति: समूहों में विचार विमर्श और प्रस्तुति।

आवश्यक सामग्री: पावर पॉइंट प्रस्तुति।

प्रक्रिया:

सहभागियों से किशोरावस्था को परिभाषित करने के लिए कहें। विभिन्न समूहों से कुछ प्रतिक्रियाओं को सुनें और फिर स्लाइड ''किशोरावस्था क्या है?'' प्रदर्शित करें (5 मिनट)।

किशोरावस्था क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा किशोरावस्था को 10-19 वर्ष की आयु के बीच की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है।
- क्या आप जानते हैं कि भारत में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में किशोरों की आबादी सबसे ज़्यादा है?

नर्देश : सहभागियों से समूहों में ''किशोरों पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है?'' पर चर्चा करने के लिए कहें। फिर बड़े समूह में चर्चा करें (10 मिनट)।

निर्देश : निम्नलिखित स्लाइडों को प्रदर्शित करें और समझाएं (10 मिनट)।

किशोर

- **लक्षण**
  - ➢ तेज संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक और यौनिक विकास।
  - ➢ पर्याप्त ध्यान न देने पर ये चुनौतियों / समस्याओं में परिवर्तित हो सकते हैं।
- **चुनौतियां**
  - ➢ उनकी विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देने वाली सेवाओं की कमी।
- **किशोरों पर ध्यान क्यों दें?**
  - ➢ शुरुआती वर्षों में किए गए निवेश पर निर्माण करने का अवसर (शुरुआती सालों में की गई मेहनत से अच्छा परिणाम आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है)।
  - ➢ सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा दें और उन लोगों को दूसरा मौका दें जिन्होंने बचपन में कम अच्छा प्रदर्शन किया था।
  - ➢ इन सफलताओं को समेकित करने के लिए बचपन से वयस्कता तक एक सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पादक परिवर्तन में निवेश करना जरूरी है।
  - ➢ किशोरावस्था में निवेश नहीं करना, या सिर्फ किशोरावस्था पर ध्यान केंद्रित करना जब वे 'समस्या' बन जाते हैं, शुरुआती सालों में किए गए निवेश को गंवा देने जैसा है।

मध्य प्रदेश में किशोर

- देश की किशोर आबादी में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है।
- 16 मिलियन के साथ, राज्य की 22% आबादी का गठन करता है - हर पांच व्यक्तियों में से एक।
- राज्य में किशोरों (10-19 वर्ष के बीच) का लिंगानुपात 902 है (तुलनात्मक स्थिति देने के लिए, जहाँ प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, उस जिले का लिंगानुपात जोड़ें)।
- 74 फीसदी, जो कि 12 मिलियन के आसपास है, ग्रामीण इलाकों में रहता है।
- किशोरों की साक्षरता दर 90% है —
  - ➢ किशोरों के बीच ड्रॉप-आउट दर अधिक है; माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के ड्रॉप-आउट होने की संख्या ज़्यादा है।
  - ➢ प्रशिक्षण से पहले स्कूल से ड्रॉप-आउट हुई लड़कियों या स्कूल से बाहर की लड़कियों का जिला विशिष्ट नवीनतम आंकड़े जोड़ लें।

निर्देश : चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत करें और यदि सवाल हों तो उन्हें संबोधित करें (10 मिनट)।

सत्र 3. बाल अधिकार और बाल संरक्षण

अवधि:
60 मिनट

सत्र के परिणाम: इस सत्र के अंत में, सहभागी सक्षम होंगे —

- बच्चों के जोखिमों को समझने में।
- विभिन्न जोखिमों के बीच परस्पर संबंध स्थापित कर पाने में।

पद्धति: जोखिम-स्थिति-विश्लेषण अभ्यास/ वलनेरेबिलिटी वॉक एक्सरसाइज।

आवश्यक सामग्री: कागज़ के एक टुकड़े पर सहजकर्ता के लिए भूमिकाओं और सवालों को सूचीबद्ध करें।

प्रक्रिया:

- एक समूह अभ्यास के लिए किन्हीं भी 10 सहभागियों को अपनी इच्छा से भाग लेने के लिए कहें।
- उन 10 वॉलंटियर सहभागियों में से प्रत्येक को कागज़ के एक छोटे टुकड़े पर लिखी गई भूमिकाओं में से कोई एक 'भूमिका' दें। वॉलंटियर को अपनी पहचान अपने पास रखकर अपनी भूमिका को आत्मसात करने के लिए कहें। उन्हें अपनी भूमिका / पहचान का दूसरों के सामने खुलासा नहीं करना है ऐसा निर्देश दें।
- अब सभी वालंटियर्स को एक लाइन में एक-दूसरे के बगल में एक साथ खड़े होने के लिए कहें, ताकि सभी का शुरुआती बिंदु एक ही हो।
- सहजकर्ता को नीचे दिए गए सवालों को एक-एक करके पढ़ना चाहिए। यदि वॉलंटियर अपनी भूमिका में सवाल का जवाब 'हां' में देते हैं, तो वो एक कदम आगे बढ़ेंगे। यदि किसी वॉलंटियर का जवाब 'ना' में होता है तो उन्हें अपनी ही जगह पर खड़े रहना होगा।

वॉलंटियर के लिए भूमिकाएँ	वॉलंटियर के लिए सवाल
• 14 साल का एक लड़का, जो 8वीं के बाद स्कूल से बाहर हो गया है और अपने दृष्टिबाधित पिता की मदद कर रहा है। • एक दलित प्रवासी परिवार का 12 साल का लड़का जिसने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। • 9 साल की शारीरिक तौर पर अक्षम लड़की जिसकी माँ की मौत हो चुकी है, और वह अपने पिता के साथ एक रिश्तेदार के घर पर रहती है। • 16 साल की लड़की जो बाज़ार के एक छोटे से होटल में बर्तन साफ करती है। • 4 साल का शारीरिक तौर पर अक्षम लड़का जिसके माता-पिता मर चुके हैं और वह दूसरे परिवार के साथ रह रहा है। • अल्पसंख्यक समुदाय की 16 साल की लड़की, जो 10वीं करने के बाद स्कूल से बाहर हो गई और व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल में भाग लेने के लिए उसे हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। • एक दलित परिवार की 15 साल की नवविवाहित लड़की। • 10 साल का लड़का जो घर पर सजा पाने के बाद घर से भाग गया। • 13 साल का अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाला 7वीं कक्षा में पढ़ रहा लड़का। • 8 साल की आदिवासी परिवार की एक लड़की जो कभी स्कूल नहीं गई।	➢ मैं मनचाहा खाना खा सकता/सकती हूँ। ➢ मैं आगे (कॉलेज) की पढ़ाई कर सकता/सकती हूँ। ➢ क्या आपको खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता है? ➢ क्या आप माध्यमिक विद्यालय जा सकते/सकती हैं ? ➢ क्या आपके पास अपने दोस्तों के साथ बिताने के लिए खाली वक्त है? ➢ जब परिवार के लोग कोई निर्णय ले रहे होते हैं तब क्या आपसे आपकी राय ली जाती है? ➢ क्या आप अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकते/सकती हैं? ➢ क्या आप प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की उम्मीद करते हैं? ➢ क्या आप बाज़ार से नए कपड़े खरीद सकते/सकती हैं? ➢ क्या आप अपने आप को सुरक्षित पाते हैं कि आपके साथ किसी तरह का कोई शोषण नहीं होगा ? ➢ बीमार होने पर मेरा योग्य इलाज किया जाएगा ऐसा मुझे विश्वास है। ➢ मैं यदि काम नहीं करना चाहता/चाहती हूँ तो मैं ऐसा कर सकता/सकती हूँ। ➢ मुझे घर में काम करने की जरूरत नहीं है।

निर्देश : **आखिर में, प्रत्येक सहभागी को अपनी भूमिका सभी को बताने के लिए कहें, उन्हें क्या लगता है कि वे क्यों उस स्थिति में हैं, और इसके बारे में वे कैसा महसूस करते हैं। वालंटियर्स से पूछें, कि क्या किसी ने पीछे मुड़कर देखा कि उनके पीछे कौन था। आगे वाले लोगों को पीछे रह गए लोगों की मदद करने के लिए क्या जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी?**

- निम्नलिखित सवालों पर विचार करें।
  - इस गतिविधि में कौन से बच्चे सबसे आखिर में आए? और क्यों?
  - आपके समुदाय के किन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होने की संभावना सबसे ज्यादा है? और क्यों?

निर्देश : समूहों से बड़े समूह में अपनी चर्चा साझा करने के लिए कहें। यह कहकर चर्चा का सार प्रस्तुत करें कि सुरक्षित होना हर बच्चे का अधिकार है, फिर भी कुछ बच्चे दूसरों की तुलना में अधिक जोखिम में होते हैं और उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। कुछ बच्चों को कई तरह के जोखिम होते हैं। इन बच्चों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि अन्य सभी बच्चे भी सुरक्षित रहें। बच्चों के संरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने में असफल रहना उनके अन्य सभी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

निर्देश : निम्नलिखित स्लाइड को प्रदर्शित और समझाकर सत्र का समापन करें।

संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं?

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 और समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) निम्न दो प्रकार के बच्चों को जोखिमग्रस्त और संरक्षण की जरूरत वाले मानते हैं।

- **'कानून के साथ संघर्ष में बच्चा' (CICL) (धारा 13) -** एक बच्चा जो कथित रूप से अपराध करता है या करता हुआ पाया जाता है और जिसने इस तरह के अपराध करते वक़्त 18 साल की आयु पूरी नहीं की है।
- **'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा' (CNCP) (धारा 14) - एक बच्चा**
  - जो बिना किसी घर या जीविका के किसी साधन के बिना पाया जाता है; या
  - जो श्रम कानूनों के उल्लंघन में काम करता पाया जाता है, भीख मांगते हुए, या सड़क पर रहते हुए पाया जाता है; या
  - जो किसी व्यक्ति (चाहे वह बच्चे का अभिभावक हो या नहीं) के साथ रहता है और ऐसे व्यक्ति ने बच्चे को चोट पहुंचाई हो, शोषण, दुर्व्यवहार या उपेक्षा की है, बच्चे को मारने की धमकी दी है या बच्चे को मार दिया है; या
  - जो मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक या शारीरिक रूप से विशेष जरूरत वाला है; या
  - जिनके माता-पिता या अभिभावक अयोग्य या अक्षम हैं; या
  - जिसके माता-पिता या कोई देखभाल करने वाला नहीं है; या
  - जो लापता या घर से भागा हुआ बच्चा है; या
  - जिसके साथ यौन दुर्व्यवहार, अत्याचार या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या
  - जो जोखिमग्रस्त स्थिति में पाया जाता है और जिसके नशीली दवाओं का सेवन करने या तस्करी करने में शामिल होने की संभावना है; या
  - अनुचित लाभ के लिए जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है या होने की संभावना है; या
  - जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सामाजिक अशांति या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित या प्रभावित है; या
  - जो विवाह की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह किए जाने के जोखिम में है।

  (एक वो बच्चा भी **CNCP** हो सकता है जो ऊपर उल्लेखित किसी श्रेणी में नहीं आता हो लेकिन उसे देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है)

मास्टर ट्रेनर्स के लिए सलाह:

- इस समूह गतिविधि के संचालन के लिए सहभागियों को खुली जगह पर ले जाएं। यदि खुली जगह उपलब्ध न हो तो, तो प्रशिक्षण स्थल पर ही ऐसी जगह बनाएँ जहाँ यह गतिविधि आसानी से आयोजित की जा सके।
- सहभागियों से पूछे जाने वाले सवालों को लिखना या प्रिंट लेना सुनिश्चित करें।
- अन्य सहभागियों से वॉलंटियरों का अवलोकन करने के लिए कहें। यदि ज़्यादा वॉलंटियर हैं, तो भूमिकाएँ दोहराई भी जा सकती हैं।

सत्र 4. बाल अधिकार और बाल संरक्षण

सत्र के परिणाम: इस सत्र के अंत में, सहभागी सक्षम होंगे —

- बाल अधिकार क्या हैं, को समझने में।
- बाल संरक्षण क्या है, को समझने में।
- प्रमुख बाल संरक्षण मुद्दों की पहचान करने में।

पद्धति: समूह में विचार-विमर्श और बड़े समूह में प्रस्तुति। पावर पॉइंट प्रस्तुति। समूह कार्य और फिर साझा करना।

आवश्यक सामग्री: फ्लिप चार्ट, मार्कर और पावर प्वाइंट।

प्रक्रिया:

सहभागियों से पूछें कि वे बच्चे को कैसे परिभाषित करते हैं? उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनें और व्हाइट बोर्ड पर नोट करें। प्रतिक्रियाएँ संख्यात्मक (0-6 वर्ष, 6-14 वर्ष, 0-10 वर्ष आदि) और वर्णनात्मक (समझ की कमी, आश्रित, निर्दोष, अपरिपक्व आदि) दोनों हो सकते हैं।

निर्देश : निम्नलिखित जानकारी साझा करें और चर्चा करें (10 मिनट)।

बच्चे की परिभाषा क्या है ?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (UNCRC) (अनुच्छेद 1) 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को एक 'बच्चे' के रूप में परिभाषित करता है, जब तक कि किसी देश का कानून युवा वयस्क के लिए कानूनी उम्र निर्धारित नहीं करता है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (धारा 12), के अनुसार एक ''बच्चे'' का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि यह एक गलत धारणा है कि बच्चों की कोई समझ नहीं होती है और वे अपने लिए नहीं सोच सकते हैं। एक नवजात बच्चे का उदाहरण दे सकते हैं जो गीले / गंदे कपड़े बदलने के लिए या भूख लगने पर उसे खिलाने के लिए अपने देखभालकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोता है। प्रत्येक बच्चे की उसकी उम्र के अनुसार उचित समझ होती है।

निर्देश : **सहभागियों से पूछे कि वे अधिकारों से क्या समझते हैं? उन्हें उसका अर्थ समझाने के लिए कहें।**

''अधिकार'' शब्द का क्या अर्थ है?

- 'अधिकार' एक दावा है, जो सम्मान करने, सुरक्षा करने या पूर्ति करने का दायित्व अन्य लोगों पर डालता है। हम अपने लिए जो दावा करते हैं, दूसरों को भी अपने लिए वो दावा करने का अधिकार है और सभी के लिए तदनुरूप दायित्व हैं।
- एक अधिकार का सम्मान करने का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं करने का वायदा जिससे किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन, अभाव या कटौती हो सकती है।

निर्देश : **सहभागियों से पूछें कि वे 'बाल अधिकार' से क्या समझते हैं? उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनें और नीचे की स्लाइड प्रदर्शित करें।**

बाल अधिकार की परिभाषा

- यूएनसीआरसी बाल अधिकारों को न्यूनतम पात्रता और स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करता है जो 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, राष्ट्रीय मूल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राय, मूल, धन, जन्म स्थिति या क्षमता की परवाह किए बिना मिलने चाहिए और इसलिए सभी लोगों पर हर जगह लागू होते हैं।
- ये अधिकार बच्चों की स्वतंत्रता और उनके नागरिक अधिकारों, पारिवारिक वातावरण, आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण, शिक्षा, अवकाश व सांस्कृतिक गतिविधियों और विशेष सुरक्षा उपायों को शामिल करते हैं।
- सभी बच्चों के पास ये अधिकार हैं और सारे अधिकार समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, साथ ही एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

निर्देश : **सहभागियों से इस बात पर विचार-विमर्श करना चाहिए कि बच्चों को अलग अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? उन्हें अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें और नीचे दी गई दो स्लाइडों का उपयोग करके उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करें।**

बच्चों को अधिकार क्यों?

क्योंकि -

- **विभिन्न जरूरतों एवं अधिकारों के साथ बच्चे एक अलग समूह हैं।**
- **बच्चों के उनके मानव अधिकारों के एक हिस्से के रूप में कुछ विशेष अधिकार हैं।**
- **बच्चे संवेदनशील होते हैं। उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है।**

बच्चों के मुख्य अधिकार

- **जीने का अधिकार**
- **विकास का अधिकार**
- **सुरक्षा का अधिकार**
- **भागीदारी का अधिकार**

निर्देश : **सहभागियों से पूछें कि बाल संरक्षण से वे क्या समझते हैं? उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनें और निम्नलिखित दो स्लाइडों का प्रदर्शन कर चर्चा करें (10 मिनट)।**

बाल संरक्षण

- **बच्चों के जीवन, व्यक्तित्व और बचपन में होने वाले किसी भी कथित या वास्तविक खतरे या जोखिम से उनकी रक्षा करना।**
- **उनको होने वाले किसी भी प्रकार के जोखिम की संभावना को कम करने और ऐसी स्थितियों से उनकी रक्षा करने के बारे में है।**

बाल संरक्षण के तीन सिद्धान्त

- किसी भी परिस्थिति में हर बच्चे की किसी भी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, उपेक्षा या ऐसे किसी भी हालात से जो बच्चे को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से या किसी अन्य तरीके से हानि पहुँचाते हैं रक्षा करना यानि की हिंसा के किसी भी रूप का पूरी तरह से अभाव।
- दूसरा, अनुकूल, सुरक्षात्मक और सकारात्मक ढाँचों व प्रक्रियाओं सहित बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक और अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
- तीसरा, अगर बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, तो संबन्धित बच्चों की तात्कालिक और दीर्घकालिक जरूरतों का ख्याल रखने के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र हो।

निर्देश : **सहभागियों से बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों की पहचान करने के लिए कहें। उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनें और निम्नलिखित स्लाइड प्रदर्शित करके चर्चा का सारांश प्रस्तुत करें।**

बाल संरक्षण के मुद्दे

सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन:

- बाल यौन शोषण
- बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, सड़क पर रहना
- अनाथ, परित्यक्त
- बाल विवाह - अभाव का चक्र
- शारीरिक दंड, हिंसा
- तस्करी, बाल भिक्षावृत्ति (भिखारी)
- एचआईवी / एड्स, आपदाओं से प्रभावित बच्चे / परिवार

निर्देश : **सहभागियों को बताएं कि नीचे दिया गया चार्ट मध्य प्रदेश में बच्चों के संरक्षण के अधिकार की स्थिति पर प्रकाश डालता है।**

मुद्दा	सूचकांक	स्त्रोत	वर्ष	मध्यप्रदेश
बाल लिंगानुपात	प्रति 1,000 लड़कों पर 6 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां	जनगणना	2011	918
जन्म पंजीकरण	5 वर्ष की आयु से पहले पंजीकृत बच्चे	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (NFHS)	2016	81.9%
बाल श्रम, प्रवास और तस्करी	5-14 वर्ष की आयु के बाल मजदूर	जनगणना	2011	7 लाख
	लापता बच्चे (अपहरण)	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)	2017	10,110
बाल विवाह	20-24 वर्ष की उम्र की महिलाएं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हुई थी (%)	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (NFHS)	2016	32.4%
किशोर गर्भावस्था	15 से 19 वर्ष की आयु में किशोर गर्भावस्था या बच्चे का जन्म	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (NFHS)	2016	7.3%
बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा	विवाहित महिलाएं, जिन्होंने कभी भी हिंसा का अनुभव किया हो (%)	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (NFHS)	2016	33%
	बच्चों के खिलाफ अपराध	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)	2017	19,038
	बच्चों के खिलाफ अपराध (बलात्कार)	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)	2017	3,032

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक	विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे (CCL)	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)	2017	6,491
	विधि विवादित बच्चे अभिरक्षा में लिए गए (वर्ष के दौरान)	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)	2017	7,166
	15-24 उम्र की महिलाएं जो अपने मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों का उपयोग करती हैं	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (NFHS)	2016	37.6%

निर्देश : **सहभागियों के साथ नीचे दी गई केस स्टडीज को साझा करें और वे इन मामलों में किस तरह से कार्रवाई/हस्तक्षेप करेंगे यह साझा करने के लिए कहें।**

राहुल एक 12 साल का बच्चा है। बड़ो के साथ मिलकर उसने एक अपराध किया था। अपराध के बारे में अखबार में छपने से उसके बारे में सभी को पता चल जाता है। इस बारे में मालूम चलने पर स्कूल से उसे निकाल दिया जाता है।

सीमा जोकि 16 वर्ष की है अपनी 2 वर्ष की छोटी बहन के साथ सड़कों पर भीख मांगती है। भीख उसके माँ के द्वारा उससे मंगवाया जाता है। भीख न मांग कर लाने पर माँ उसकी पिटाई करती है।

रामू जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ राहुल के साथ साथ दूसरे और बच्चे नशा करते हैं। राहुल बताता है कि उसके मोहल्ले के कई दुकानों पर उन्हें नशा (तम्बाकू पदार्थ) आसानी से मिल जाता है।

रोहन जोकि 16 वर्ष का है उसके ऊपर आरोप है कि उसने चोरी का अपराध किया है। रोहन ने बताया कि उसने यह अपराध एक अंकल के कहने पर किया। वह अंकल उसके जैसे दूसरे बच्चों से भी इस तरह का काम करवाते हैं।

निर्देश : **प्रतिभागियों को सुनने के बाद, उन्हें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम -2015 और इसके प्रमुख धाराओं / प्रावधानों से अवगत कराएँ।**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम -2015

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए बेहतर पुनर्वास हेतु सरकार ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act, 2015) को अधिनियमित किया। इससे पहले देश में किशोर न्याय अधिनियम वर्ष 2000 का कानून प्रभावी था। जेजे अधिनियम, 2015 15 जनवरी, 2016 को देश में लागू हुआ।

इस कानून के प्रमुख प्रावधान :

बच्चों की पहचान का खुलासा- देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक और कानून का उल्लंघन करने वाले बालक के पहचान का किसी भी तरह से मीडिया या संचार के किसी भी रूप में खुलासा नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह बच्चे के हित में न हो (धारा 74)।

बच्चे के साथ क्रूरता - बच्चे के साथ किसी भी तरह की क्रूरता (चोट पहुंचाना, परित्याग, दुर्व्यवहार, उपेक्षा) मानसिक या शारीरिक रूप से करना दंडनीय अपराध है (धारा 75)।

भीख मांगने के लिए बच्चे का नियोजन- भीख मंगवाने के उद्देश्य से किसी भी बच्चे को नियोजित करना या उसका उपयोग करना दंडनीय अपराध है (धारा 76)।

बच्चों को नशीला पदार्थ देना या ऐसे पदार्थों के व्यवसाय में उनका उपयोग करना- किसी भी नशीला पदार्थ को किसी बच्चे को देना या बेचना और / या इस तरह के किसी पदार्थ के परिवहन, क्रय विक्रय या तस्करी में उनका इस्तेमाल करना दोनों दंडनीय अपराध हैं (धारा 77 और 78)।

गैरकानूनी कामों में बच्चे का उपयोग- किसी भी वयस्क या वयस्क समूह द्वारा गैरकानूनी कार्यों/ गतिविधियों में बच्चे का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है (धारा 83)।

सहभागियों के साथ साझा करें कि अधिनियम के तहत बच्चों की रक्षा करने, उनका पुनर्वास करने और उन लोगों को दंडित करने के लिए जो बच्चों का शोषण करते हैं कई प्रावधान हैं।

निर्देश : **प्रतिभागियों से पूछें कि वे 'यौन शोषण' से क्या समझते हैं? उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनें और उन्हें 'यौन शोषण और बाल यौन शोषण' दोनों को समझने में मदद करें (10 मिनट)।**

यौन शोषण

यौन शोषण अवांछित यौन गतिविधि है, जिसमें अपराधी बल का उपयोग करके, धमकियां देकर पीड़ितों, जो सहमति देने में सक्षम नहीं हैं, का फायदा उठाते हैं। यौन शोषण एक व्यापक शब्द है जिसमें बलात्कार (प्रवेशन लैंगिक हमला), यौन हमला, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी (अश्लील साहित्य) आदि शामिल हैं।

बाल यौन शोषण

बाल यौन शोषण (सीएसए) से तात्पर्य किसी भी यौन गतिविधि में बच्चों की भागीदारी से है जो:

- बच्चा नहीं समझता;
- जिसके लिए बच्चा सहमति देने में असमर्थ है;
- बच्चा मानसिक रूप से विकसित नहीं है, और सहमति नहीं दे सकता है; तथा
- समाज के कानूनों या मानदंडों का उल्लंघन करता है।

निर्देश : सहभागियों के साथ नीचे दी गई केस स्टडीज को साझा करें और वे इन मामलों में किस तरह से कार्रवाई/हस्तक्षेप करेंगे यह साझा करने के लिए कहें।

राधा एक 15 वर्षीया बालिका है। वह गर्भ से है। उसके घर वाले उसका गर्भ गिराने के लिए आंगनवाड़ी/स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करते हैं। उन्हें डर है कि इस बात का पता चल जाने पर उनकी बदनामी होगी।

रोहन एक 14 साल का बालक है। स्कूल जाते समय रास्ते में बड़े लड़के उसके साथ छेड़खानी करते हैं। उसके साथ अश्लील बातें करने के साथ-साथ वे उसे गोद में उठा लिया करते हैं।

निर्देश : सहभागियों को सुनने के बाद, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2019 (POCSO अधिनियम) और इसके प्रमुख प्रावधानों से उन्हें अवगत कराएँ।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधित) अधिनियम -2019

यह कानून बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी एवं अन्य लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2012 में देश में लागू हुआ. इस कानून के अलावा देश में कोई और कानून नहीं है जो बिना किसी लिंगभेद के इतने वृहद् तरीके से लैंगिक अपराधों के ऊपर बात करता हो।

अपराधों की रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग के लिए बाल-सुलभ तंत्र को शामिल करके, न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे के हितों की रक्षा करते हुए, यह एक व्यापक कानून है। यह कानून अपराधों के अलावा लैंगिक शोषण से पीड़ित बच्चों के पुनर्वास के ऊपर भी बात करता है।

इस कानून के अनुसार 'बालक' शब्द से अभिप्राय है वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष पूरा नही किया हो। कानून निम्नलिखित लैंगिक अपराधों की बात करता है —

* **प्रवेशन लैंगिक हमला/गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला**
* **लैंगिक हमला/गुरुतर लैंगिक हमला**
* **लैंगिक उत्पीड़न**
* **अश्लील उद्देश्य में बच्चों का इस्तेमाल**

अनिवार्य रिपोर्टिंग- ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे यह आशंका है कि इस अधिनियम के तहत किसी बालक के साथ कोई अपराध होने की संभावना है या उसे इस बात की जानकारी है कि किसी बालक के साथ ऐसा अपराध किया गया है, तो वह ऐसी जानकारी —

(क) विशेष किशोर पुलिस इकाई, या

(ख) स्थानीय पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएगा।

सहभागियों के साथ साझा करें कि अधिनियम के तहत कई ऐसे प्रावधान हैं जो बच्चों को बचाने और उन लोगों को दंडित करने के लिए हैं जो बच्चों का यौन शोषण करते हैं।

निर्देश : सहभागियों को एक साथ आने और मध्य प्रदेश में प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए काम करने की जरूरत पर बात करते हुए चर्चा का सारांश प्रस्तुत करें।

मास्टर ट्रेनर्स के लिए सलाह:

प्रस्तुति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने संबंधित जिले की नवीनतम जानकारी / डाटाबेस (आधारभूत आंकड़े) जोड़ें।

सत्र 5. बाल विवाह

अवधि: 30 मिनट

सत्र के परिणाम: इस सत्र के अंत में, सहभागी समझने में सक्षम होंगे—

- बाल विवाह की परिभाषा को जानने में, समझने में।
- पीसीएमए अधिनियम के प्रावधान।
- कार्रवाई के लिए रणनीतियाँ।

पद्धति: केस स्टडी, चर्चा और प्रस्तुतियाँ।

आवश्यक सामग्री: फ्लिप चार्ट, मार्कर और पावर प्वाइंट प्रस्तुति।

प्रक्रिया:

सहभागियों से पूछें "बाल विवाह क्या है"। विभिन्न समूहों से कुछ प्रतिक्रियाओं को सुनें और फिर स्लाइड "बाल विवाह क्या है" दिखाएं (5 मिनट)।

बाल विवाह क्या है?

बाल विवाह : ऐसा विवाह जिसमें लड़की / दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के/दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से कम हो।

निर्देश : सहभागियों से समूहों में ''बाल विवाह के कारण'' और ''बाल विवाह का बच्चों पर असर'' पर चर्चा करने के लिए कहें। बड़े समूह में चर्चा करें और निम्नलिखित दो स्लाइडों को दिखाकर उनकी व्याख्या करें (10 मिनट)।

बाल विवाह के कारण

समाजिक सांस्कृतिक कारण

- लड़कियों की सुरक्षा की चिंता "कहीं कुछ गलत न हो जाए"।
- मौजूदा सामाजिक मानदंडों की निर्विवाद स्वीकृति।

आर्थिक कारण

- परिवार की आर्थिक परिस्थिति।
- दहेज प्रथा।

- बाल विवाह प्रतिषेध कानून की जानकारी का अभाव।
- शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों की अनुपलब्धता।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपर्याप्तता।

बाल विवाह के परिणाम

- लड़कियों की शिक्षा रूक जाना।
- कम उम्र में जल्दी माँ बनने पर लड़कियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव।
- घरेलू जिम्मेदारियों के लिए शारीरिक क्षमता/तैयारियों की कमी।
- परिवार नियोजन, यौन संबंध, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान/ जानकारी की कमी के कारण सूचित निर्णय लेने में असमर्थता।
- युवा दंपति आजीविका और जीवन की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ।
- वैवाहिक जीवन में हिंसा, घरेलू हिंसा के जोखिम में वृद्धि तथा लड़कियों द्वारा हिंसा को "सहज" मान स्वीकार लेना।

निर्देश : सहभागियों को बताएं कि हम बाल विवाह निषेध कानून (पीसीएमए अधिनियम) के प्रावधानों पर चर्चा करेंगे।

- सहभागियों (4-5 सदस्यों) के समूह बनाएं और निम्नलिखित केस स्टडीज को साझा करें और सहभागियों को अपने समूह में केस स्टडी पर चर्चा करने के लिए कहें (10 मिनट)। चर्चा के बाद उन्हें फिर से बड़े समूह में साझा करना होगा।

केस स्टडी 1

सीमा एक सामाजिक कार्यकर्ता है और उन्होंने चिरेंटा गांव में बच्चों / किशोर-किशोरी के समूहों का गठन किया है। एक दिन पंकज नाम का 19 वर्षीय युवक, उसके पास आता है और उसे शादी का निमंत्रण देता है। वह निमंत्रण पढ़ती है और पाती है कि यह उसकी 10 दिन बाद होने वाली शादी का निमंत्रण है। वह उसे बताती है कि वह 21 वर्ष से कम आयु का है इसलिए वह विवाह करने के योग्य नहीं है। पंकज उसे बताता है कि वह यह समझता है लेकिन उसकी दादी बीमार है और वह उसे अंतिम सांस लेने से पहले शादीशुदा देखना चाहती है।

अब सीमा / पंकज क्या कर सकते हैं?

केस स्टडी 2

सीमा एक सामाजिक कार्यकर्ता है और उन्होंने चिरेंटा गांव में बच्चों / किशोर-किशोरी के समूहों का गठन किया है। एक दिन पंकज नाम का 19 वर्षीय युवक, उसके पास आता है और उसे शादी का निमंत्रण देता है। वह निमंत्रण पढ़ती है और पाती है कि यह उसकी 10 दिन बाद होने वाली शादी का निमंत्रण है।

वह उसे बताती है कि वह 21 वर्ष से कम आयु का है इसलिए वह विवाह करने के योग्य नहीं है। पंकज उसे बताता है कि वह यह समझता है लेकिन उसकी दादी बीमार है और वह उसे अंतिम सांस लेने से पहले शादीशुदा देखना चाहती है।

पंकज का परिवार काउंसलिंग के लिए सहमत नहीं है और शादी कराने का फैसला करता है। शादी के दिन, बाल विवाह संरक्षण अधिकारी (सीएमपीओ) के साथ सीमा गांव पहुंचती है और शादी को रोकने की कोशिश करती है। पंकज के पिता का कहना है कि अब शादी को रोका नहीं जा सकता क्योंकि मेहमान आ चुके हैं, दावत आदि की तैयारियां की जा चुकी है और अगर वे शादी रोकने पर जोर देते हैं, तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेंगे।

अब क्या किया जा सकता है?

केस स्टडी 3

कमलेश की शादी 19 साल के अरविंद के साथ तब हुई जब वह 14 साल की थी। उसे एक साल बाद उसके ससुराल भेज दिया गया।

19 साल तक की उम्र में कमलेश दो बच्चों की मां बन चुकी थी। उसे इस समय तक यह पता चला कि अरविंद की रूची कमलेश में नहीं रही। अरविंद मौखिक और शारीरिक रूप से उसका दुर्व्यव्हार करने लगा। वह कमलेश और उसके बच्चों की देखभाल नहीं करता था। इस पर अब रोजाना मनमुटाव चल रहा था।

अब कमलेश क्या कर सकती है?

- केस **स्टडी** नंबर 1 पर चर्चा करने वाले हरेक समूह के प्रतिनिधि से पूरे समूह में अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहें (5 मिनट)।
- केस **स्टडी** नंबर 2 पर चर्चा करने वाले हरेक समूह के प्रतिनिधि से पूरे समूह में अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहें (5 मिनट)।

निर्देश : चर्चा का सार प्रस्तुत करें और निम्नलिखित 3 स्लाइडों को दिखाकर उनकी व्याख्या करें (5 मिनट)।

बाल विवाह: एक अपराध

- **बाल विवाह:** ऐसा विवाह जिसमें लड़की/दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के/दुल्हे की उम्र 21 वर्ष से कम हो।
- **दण्डनीय अपराध:** गैर-जमानती, संज्ञेय है।
- **सज़ा:** दो वर्ष की कड़ी कैद तथा एक लाख रुपये तक का जुर्माना।
- **अपराधी कौन:** कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह संपन्न कराता है या बाल विवाह को प्रोत्साहन देता है। उदाहरण-माता-पिता, पंडित-मौलवी, अभिभावक, रिश्तेदार, पड़ोसी, बैंड वाले, टेंट वाले, केटरर।
  - दूल्हा 18 वर्ष से अधिक का हो तो वह भी सजा पा सकता है।
  - बाल विवाह कानून के तहत महिलाओं को कैद की सजा नहीं होती लेकिन किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत हो सकती है।

बाल विवाह की शिकायत कौन दे सकता है?

- बाल विवाह के पहले या बाद में कोई भी व्यक्ति इस घटना की रिपोर्ट, सूचना दे सकता है।

कोई बालक या बालिका स्वयं भी शिकायत कर सकते हैं।

- ऐसा कोई व्यक्ति जिसे विश्वास है कि बाल विवाह होने वाला है।
- या इस आशय की व्यक्तिगत जानकारी है।
- शिक्षक, डॉक्टर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम. ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, पड़ोसी आदि।

बाल विवाह की सूचना/शिकायत

- पुलिस
- बाल कल्याण समिति
- जिला मजिस्ट्रेट
- प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट/मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
- बाल विवाह निषेध अधिकारी
- चाइल्ड लाईन (1098)

- केस स्टोरी नंबर 3 पर चर्चा करने वाले प्रत्येक समूह के प्रतिनिधि से पूरे समूह में अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहें (5 मिनट)।

निर्देश : चर्चा का सार प्रस्तुत करें और निम्नलिखित 3 स्लाइडों को दिखाकर उनकी व्याख्या करें (5 मिनट)।

बाल विवाह का रोकथाम

- बाल विवाह निषेध अधिकारी की जिम्मेदारी रोकथाम के लिए प्रचार-प्रसार कर जागरूकता फैलाना, माता-पिता/परिवारों को परामर्श देना आदि।
- यदि बाल विवाह संपन्न हो रहा है तो पुलिस में शिकायत कर, बाल विवाह रूकवाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें फौरन मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी चाहिए, जिससे बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी हो सके।
- सबूत इकट्ठा करें, दोषियों की सूची बनाएँ।
- यदि बच्चे के साथ जबर्दस्ती की जा रही है या डराया धमकाया जा रहा है या लालच दे कर बाल विवाह में धकेला जा रहा है या बच्चे के जीवन को खतरा दिखाई देता है तो बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पेश करना होगा।
- यदि विवाह संपन्न हो चुका हो तो सबूत इकट्ठा करे, दोषियों की सूची बनाए और पुलिस में शिकायत दर्ज करें।

बाल विवाह संपन्न होने के पश्चात कार्रवाई

- **बाल विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है —**
  - जिस बच्चे का बाल विवाह किया गया है वह बालिग होने के दो साल बाद तक अपने विवाह को अकृत और शून्य घोषित करवाने की माँग कर सकता/सकती है।
  - ऐसे में शादी के दौरान दिए गए उपहार लौटा दिए जाएंगे।
- **बलिका वधु को पति (यदि वह नाबालिग हो तो उसके अभिभावक) द्वारा गुजारा भत्ता दिया जाएगा।**
- **ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाले बच्चे जायज माने जाएंगे तथा उन्हें भी गुजारे भत्ते का अधिकार है।**

अकृत और शून्य विवाह

कुछ परिस्थितियों में अदालत बाल विवाह को अकृत या शून्य घोषित कर सकती है—

- निषेधाज्ञा के बावजूद बाल विवाह करवाया गया हो।
- बच्चे को फुसलाकर, जबरन या धोखे से अभिभावकों से दूर कर दिया गया हो।
- बच्चे को विवाह के लिए बेचा या खरीदा गया हो।

सत्र 6. बच्चों के खिलाफ हिंसा को समझना

अवधि:
45 मिनट

सत्र के परिणाम: इस सत्र के अंत में, सहभागी सक्षम होंगे —

- बच्चों के खिलाफ हिंसा की परिभाषा और प्रकार को समझने में।
- बच्चों पर हिंसा के प्रभाव और रोकथाम और प्रतिक्रिया रणनीतियों को समझने में।

पद्धति: प्रस्तुति के बाद चर्चा, केस स्टडी।

आवश्यक सामग्री: पावर पॉइंट प्रस्तुति और केस स्टडी।

प्रक्रिया:

प्रशिक्षक स्लाइडों को दिखाने के बाद सहभागियों को खुली चर्चा का अवसर दें।

परिभाषा

बच्चों के खिलाफ हिंसा में 18 साल से कम उम्र के लोगों के खिलाफ हिंसा के सभी प्रकार शामिल हैं, चाहे वे माता-पिता या अन्य देखभाल करने वालों, सहकर्मियों, रोमांटिक साथियों या अजनबियों द्वारा किए गए हों।

बच्चों के खिलाफ हिंसा के प्रकार

- दुर्व्यवहार (हिंसक दंड सहित)
- डराना-धमकाना या दादागिरी (साइबर-धमकी सहित)
- युवा हिंसा
- अंतरंग साथी की हिंसा (या घरेलू हिंसा)
- यौन हिंसा
- भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक हिंसा

जब लड़कियों या लड़कों के साथ उनके जैविक लिंग या जेण्डर पहचान के कारण दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इस प्रकार की हिंसा में से कोई भी जेण्डर आधारित हिंसा का रूप ले सकता है।

जोखिम	
व्यक्तिगत स्तर: • लिंग और उम्र जैसे जैविक और व्यक्तिगत पहलू • शिक्षा का निम्न स्तर • कम आय • विकलांगता या मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होना • समलैंगिक, उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर होना • शराब और ड्रग्स का हानिकारक उपयोग • हिंसा सहने का पूर्व अनुभव	• **निकट-संबंध स्तर:** • बच्चों और माता-पिता या देखभाल करने वालों के बीच भावनात्मक बंधन की कमी • खराब पालन-पोषण की परंपरा • पारिवारिक शिथिलता और अलगाव • गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त साथियों के साथ जोड़ा जाना • माता-पिता या देखभाल करने वालों के बीच हिंसा देखना • जल्दी या जबरन शादी
सामुदायिक स्तर: • गरीबी • उच्च जनसंख्या घनत्व • कम सामाजिक संबंध और अस्थाई आबादी • शराब और बंदूकों तक आसान पहुँच • गिरोहों और नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने वालों की अधिक सघनता	• **सामाजिक स्तर:** • सामाजिक और जेण्डर मानदंड जो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें हिंसा करना सामान्य बात है • स्वास्थ्य, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक नीतियां जो आर्थिक, लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को बनाए रखती हैं • गैरहाज़िर या अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा • संघर्ष के बाद की स्थिति या प्राकृतिक आपदा • कमज़ोर शासन व्यवस्था और खराब कानून अमल में लाना

निर्देश : बाल संरक्षण पुस्तिका (सीपी हैंडबुक) के पेज 25 और 33 से दो केस स्टडीज को साझा करें। सहभागियों से अपने समूहों में चर्चा करने और फिर बड़े समूह में साझा करने के लिए कहें। निम्नलिखित स्लाइडों को प्रदर्शित करके सारांश प्रस्तुत करें।

रोकथाम और प्रतिक्रिया

- **INSPIRE (प्रेरणा): बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सात रणनीतियाँ**

- I कानूनों का कार्यान्वयन और अमल में लाना (उदाहरण के लिए, हिंसक दंड या सज़ा पर प्रतिबंध लगाना और शराब और बंदूकों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना);
- N मानदंड और मूल्य बदलना (उदाहरण के लिए, मानदंडों में फेरबदल करना जो लड़कियों के यौन शोषण या लड़कों के बीच आक्रामक व्यवहार की अनदेखी करते हैं);
- S सुरक्षित वातावरण (जैसे कि हिंसा के लिए पड़ोस की संवेदनशील जगहों की पहचान करना और फिर समस्या-उन्मुख व्यवस्था और अन्य उपायों के माध्यम से स्थानीय कारणों को संबोधित करना);
- P माता-पिता और देखभाल करने वाले का सहयोग (उदाहरण के लिए, युवा और पहली बार माता-पिता बनने वालों को पालक प्रशिक्षण प्रदान करना);
- I आय और आर्थिक मज़बूती (जैसे माइक्रोफाइनेंस और जेण्डर समानता प्रशिक्षण);
- R प्रतिक्रिया सेवाएं प्रावधान (उदाहरण के लिए, यह सुनिश्चित करना कि हिंसा से पीड़ित बच्चे प्रभावी आपातकालीन देखभाल तक पहुँच सकते हैं और उचित मनो-सामाजिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं); तथा
- E शिक्षा और जीवन कौशल (जैसे यह सुनिश्चित करें कि बच्चे स्कूल जाते हैं, और जीवन व सामाजिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं)।

सत्र 7. संचालन कौशल

अवधि: 30 मिनट

सत्र के परिणाम: इस सत्र के अंत में, सहभागी सक्षम होंगे —

- उन प्रमुख कारकों का वर्णन करने में जो प्रशिक्षण सत्रों के दौरान वयस्कों को सीखने और फिर सीखे गए को लागू करने में सक्षम बनाते हैं।
- वयस्क शिक्षण सिद्धांत और भागीदारी प्रशिक्षण कौशल क्या हैं को समझाने में।

पद्धति: विचार विमर्श और पावर पॉइंट प्रस्तुति।

आवश्यक सामग्री: व्हाइट बोर्ड, सीखने की शैली पर हैंडआउट व पावर पॉइंट प्रस्तुति।

प्रक्रिया:

वयस्क शिक्षण

- लेखन बोर्ड के आधे हिस्से पर निम्नलिखित सवाल लिखें —
  - "आपको कुछ सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली?"
  - लेखन बोर्ड पर सहभागियों की प्रतिक्रियाओं को नोट करें (सवाल के नीचे)।

- लेखन बोर्ड के दूसरे आधे हिस्से पर अगला सवाल लिखें —
  - "आप कैसे सीखते हैं?"
  - लेखन बोर्ड पर एक बार फिर से प्रतिक्रियाओं को नोट करें।

निर्देश : **वयस्कों को सीखने में मदद करने वाले कारकों को समझाने के लिए नीचे दी गई स्लाइड प्रदर्शित करें। चर्चा के माध्यम से सभी सहभागियों के अनुभवों का संदर्भ लें।**

वयस्क सीखते हैं जब

- उनके सीखने में निहित हित है।
- उन्हें आत्म-निर्देशित होने की आवश्यकता है।
- उन्हें सीखने की स्थितियों में अपने अनुभव को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है।
- सीखने की प्रक्रिया के दौरान उनके आत्मसम्मान को बनाया रखा जाए।
- उन्हें अपने तरीके से सीखने की स्वतंत्रता है।
- सीखना आनुभविक है।
- प्रक्रिया सकारात्मक और उत्साहजनक है।

निर्देश : **सहभागियों को यह याद दिलाकर सत्र का समापन करें कि उन्हें अपने सहभागियों, जो वयस्क भी होंगे, के सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रशिक्षण सत्रों के दौरान अनुकूल माहौल प्रदान करने के तरीके खोजने चाहिए।**

सीखने की शैली

- सहभागियों को बताएं कि अब हम विभिन्न शिक्षण शैलियों पर चर्चा करेंगे जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित दो स्लाइडों को प्रदर्शित कर उनकी व्याख्या करें।

तीन सामान्य अध्ययन शैलियाँ

- **दृश्य शिक्षार्थी (देखकर सीखने वाले):**
  - चित्रों पर भरोसा करते हैं।
  - ग्राफ, चित्र और आकृतियों से प्यार करते हैं।
  - ''मुझे दिखाओ'' उनका आदर्श वाक्य होता है।
  - देखने में किसी बाधा से बचने और सहजकर्ता को देखने के लिए अकसर कक्षा में आगे बैठते हैं।
  - वे जानना चाहते हैं कि विषय कैसा दिखता है।
  - हैंडआउट देकर, बोर्ड पर लिखकर और 'तुमने देखा यह कैसे काम करता है' जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके आप उनके साथ अच्छे से संवाद कर सकते हैं।

- **श्रवण शिक्षार्थी (सुनकर सीखने वाले):**
  - सीखने से जुड़ी सभी आवाज़ों को ध्यान से सुनते हैं।
  - ''मुझे बताओ'' उनका आदर्श वाक्य होता है।
  - वे आपके बोलने और सभी सूक्ष्म संदेशों की आवाज़ पर पूरा ध्यान देंगे और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
  - स्पष्ट रूप से बोलकर, सवाल पूछकर और 'वह आवाज़ आपको कैसी लगती है?' जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके आप उनके साथ अच्छे से संवाद कर सकते हैं।
- **प्रायोगिक शिक्षार्थी (कुछ करके सीखने वाले):**
  - समझने के लिए शारीरिक रूप से कुछ करने की आवश्यकता होती है।
  - ''मुझे इसे करने दो'' उनका आदर्श वाक्य होता है।
  - जो वे सीख रहे हैं उसे वास्तव में छूना चाहते हैं।
  - वे ही हैं जो सक्रिय रूप से आपको भूमिका निभाने में मदद करेंगे।
  - वॉलंटियर्स को शामिल करके, जो वे सीख रहे हैं उसका अभ्यास करने देने से और ''आप उस बारे में कैसा महसूस करते हैं'' जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके आप उनके साथ अच्छे से संवाद कर सकते हैं।

याद करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- अधिकांश लोग सीखते समय सभी तीनों शैलियों का उपयोग करते हैं लेकिन एक विशेष शैली प्रमुख होती है।
- चूंकि प्रशिक्षण में प्रत्येक सहभागी की सीखने की शैली अलग होगी, इसलिए अपने सत्र में ऐसी गतिविधियों को शामिल करना बेहतर है जिसमें तीनों शैलियां शामिल हों और यह आपके सत्र लेने के तरीके को प्रभावी और संवादात्मक बना देगा।
- विभिन्न शिक्षण शैलियों का उपयोग करने से सहभागी का ध्यान बना रहता है जिससे सीखने का माहौल भी बना रहता है क्योंकि लंबे समय तक इनमें से किसी भी एक सीखने की शैली का उपयोग करने से सीखने में बाधा आती है।

सत्र संचालन की कला

- सहभागियों से अब तक आयोजित सत्रों के बारे में अपने अनुभव साझा करने के लिए कहें —
  - उन्हें किस चीज ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? और क्यों?
  - वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें उनके द्वारा अपनाए जाने की संभावना सबसे अधिक है? और क्यों?
  - ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे वे निश्चित ही बचना चाहते हैं? और क्यों?
- लेखन बोर्ड पर प्रतिक्रियाएं लिख लें।
- लेखन बोर्ड पर उल्लेखित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सहभागियों से चर्चा करें।
- उन्हें बताएं कि अब हम सत्र संचालित करने और संवाद करने के विभिन्न कौशलों पर चर्चा करेंगे जो सत्र को प्रभावी रूप से चलाने में मदद करते हैं। निम्नलिखित स्लाइडें प्रदर्शित करें।

सत्र संचालन के महत्वपूर्ण कौशल

- **सहभागियों के साथ तालमेल बनाना:**
- **प्रासंगिक और उपयुक्त उदाहरण देना: प्रशिक्षण में उपयोग किए जाने वाले उदाहरण होने चाहिए —**
  - सही
  - समझने में आसान
  - स्थानीय संदर्भ में
  - चर्चा के विषय से संबंधित
  - उदाहरण देते समय, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसकी गोपनीयता बनाई रखनी चाहिए।
- **भावार्थ बताना / चर्चा का भाव समझकर प्रस्तुत करना**
- **सवाल पूछना**
- **सुनना**

निर्देश : **मुख्य बिंदुओं को विशेष रूप से प्रस्तुत करके सत्र का समापन करें और निम्नलिखित स्लाइड प्रदर्शित करें।**

एक अच्छा सहजकर्ता / प्रशिक्षक बनने के लिए, सहभागियों को

- प्रशिक्षण सत्रों के दौरान वयस्क शिक्षण पर सिद्धांत को उपयोग करने के तरीके खोजने चाहिए।
- यह याद रखना चाहिए कि संचालन करना एक कौशल है और इस पर निपुण होने के लिए, किसी को धीरज के साथ विचार करने और अभ्यास करने की आवश्यकता है। यह कौशल एक दिन में हासिल नहीं किया जा सकता है।

सत्र 8. कार्य योजना और निगरानी

अवधि: 30 मिनट

सत्र के परिणाम: इस सत्र के अंत में, सहभागी सक्षम होंगे —

- प्रशिक्षण करने के लिए एक मसौदा (ड्राफ्ट) कार्य योजना विकसित करने में।
- प्रशिक्षण के लिए निगरानी योजना बनाने में।

पद्धति: समूह कार्य और प्रस्तुति।

आवश्यक सामग्री: फ्लिप चार्ट और मार्कर पेन।

प्रक्रिया:

- सहभागियों को 5 समूहों में बांटें। प्रत्येक समूह में सिर्फ एक विशेष विभाग से प्रतिनिधि होने चाहिए।

- समूहों से प्रशिक्षण के लिए बनाई गई योजना के बारे में चर्चा करने के लिए कहें जिसमें शामिल हैं —
  - संभावित तारीख।
  - नामित प्रशिक्षकों के नाम।
  - सहयोग की आवश्यकता।
  - निगरानी योजना।
- प्रत्येक समूह अपनी योजना साझा करें। फिर उस पर चर्चा करके एक सहमति तक पहुंचे।

सत्र 9. समेकन व समापन

सत्र के परिणाम: इस सत्र के अंत में, सहभागी सक्षम होंगे —
- प्रत्येक विषय की महत्वपूर्ण सूचनाओं को याद करने में।

पद्धति: प्रस्तुतियाँ और वीडियो क्लिप।

आवश्यक सामग्री: सत्रों की महत्वपूर्ण सूचनाओं पर प्रस्तुति
'कोशिश करने वालों की हार नहीं होती' पर वीडियो क्लिप

प्रक्रिया:
- पूरे दिन सक्रिय रहने के लिए सहभागियों का शुक्रिया अदा करें। और कहें, "अब जब हम प्रशिक्षण के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, तो अब हमारा ध्यान उन बातों पर होगा जो हमने सीखी हैं।"
- महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्रस्तुति के माध्यम से आगे बढ़ें।
- प्रस्तुति के अंत में, 'कोशिश करने वालों की हार नहीं होती' वीडियो क्लिप दिखाएं।
- सहभागियों को कहें कि प्रशिक्षण समाप्त हो गया है लेकिन हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हमें सफल होना है।
- सहभागियों का शुक्रिया अदा करने के साथ प्रशिक्षण का समापन करें।

मास्टर ट्रेनरों के लिए सलाह:

- सुनिश्चित करें कि प्रेरक वीडियो क्लिप कम्प्यूटर में पहले से ही अपलोड कर लिया गया है और वह काम कर रहा है।

References

BRIDGE Trainer's Manual developed by UNICEF for the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

Manual for Trainers developed by the Department of Women and Child Development, Government of NCT Delhi.

Stand up, Speak out! Trainers Module developed by Girls not Brides.

Smart Kit for Trainers on Child Protection developed by New Concepts Info Systems for UNICEF

Training Module on TARUNYA Communication Package developed by New Concepts Info Systems for UNICEF

TARANG SBCC Module developed by New Concepts Info Systems for UNICEF

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children

https://resourcecentre.savethechildren.net/keyword/violence-against-children

किशोर सशक्तिकरण और बाल संरक्षण प्राथमिकताएं : महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका

भूमिका

महिला एवं बाल विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास का समर्थन करना है। महिलाओं और बच्चों के विकास के नोडल विभाग के रूप में, विभाग मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करता है और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों का समन्वय करता है। महिला एवं बाल विकास (म.बा.वि.) विभाग सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य 5[1], जेण्डर समानता की प्राप्ति, के लिए नोडल विभाग है।

विभाग का मिशन है कि -

- सभी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, जेण्डर संबंधी मुद्दों को मुख्यधारा में लाना, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें उनके मानवाधिकारों का एहसास करने और उनकी पूर्ण क्षमता विकास के लिए संस्थागत और विधायी समर्थन की सुविधा प्रदान करना।
- सभी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के विकास, देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके सीखने, पोषण आहार पाने और पूर्ण क्षमता विकास के लिए संस्थागत और विधायी समर्थन उपलब्ध करना।

म.बा.वि. विभाग के मुख्य लक्ष्य

- हर महिला और लड़की के साथ भेदभाव के सभी प्रकारों को समाप्त करना।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में हर महिला और लड़की के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा को खत्म करना।
- सभी हानिकारक प्रथाओं को खत्म करना, जैसे कि बच्चे का जल्दी और जबर्दस्ती बाल विवाह और पारम्परिक रूप से लड़कियों या महिलाओं के बाहरी जननांग को हटाना।

बाल विवाह, बच्चों के खिलाफ हिंसा, बाल श्रम और बच्चों का शाला त्यागना बाल अधिकार के प्रमुख मुद्दे हैं, जिन पर म.बा.वि.विभाग को राज्य में बच्चों की समग्र बेहतरी और बच्चों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान केन्द्रित करना ज़रुरी है।

बाल संरक्षण की प्राथमिकताओं और म.बा.वि. विभाग के परिणामों में परस्पर संबंध

- बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण

बाल विवाह राज्य में किशोरों और किशोरियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एन.एफ़.एच.एस.- 4, 2015-16

1 [सतत विकास लक्ष्य (एस. डी. जी.) वर्ष 2030 के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों का एक संग्रह है। भारत सरकार एस. डी. जी. की उपलब्धि के लिए प्रतिबद्ध है।]

के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 32.4% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले और 25-29 वर्ष की आयु के 31.2% पुरुषों की शादी 21 वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कम शिक्षा वाले गरीब परिवारों की लड़कियों की कम उम्र में शादी होने की अधिक संभावना है और उनका स्कूल से छोड़ने का खतरा बढ़ जाता है।

कम उम्र में विवाह अक्सर किशोर गर्भधारण की ओर ले जाते हैं। कम उम्र में विवाह और उसके बाद की गर्भावस्था न सिर्फ लड़कियों के अधिकारों का हनन है, यह उन्हें अपने जीवन के निर्णय लेने से रोकता है और स्वास्थ्य का मुद्दा बन जाता है। किशोर गर्भधारण से संबंधित स्वास्थ्य के कई खतरे हैं और मातृ मृत्यु अनुपात का प्रमुख कारक है। भारत में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 130 माताओं की मौत होती है ए.एच.एस. 2012-13 के अनुसार, मध्य प्रदेश में 11.6% मातृ मृत्यु 15-19 वर्ष के आयु वर्ग में हैं।

कम वजन से पैदा होने (एल.बी.डब्लू.) नवजात बच्चों के जीवित रहने में एक महत्वपूर्ण खतरे का कारक है, एल.बी.डब्लू. वाले बच्चों के विकास में विकृति, मृत्यु होने की संभावना और करोनिक बीमारियों का खतरा अधिक होता है। मध्य प्रदेश में, आर.एस.ओ.सी. 2013-14 के अनुसार, 23.1% शिशुओं में एल.बी.डब्लू. है, जो अन्य कारणों से मातृ-पोषण और एनीमिया से जुड़ा हुआ है। गर्भावस्था से पहले माँ की स्थिति इसके परिणाम का एक प्रमुख निर्धारक है। 15-18 वर्ष की 45.9[2] प्रतिशत लड़कियों का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 18.5 किलोग्राम / एम से कम है। इस तरह के कुपोषित किशोरियों की बीमारियों और जल्दी मृत्यु की चपेट में आने की संभावना अधिक होती है कम वजन के बच्चों को जन्म देने में किशोर माताओं का अधिक योगदान होता है, तथा बच्चे के जन्म के दौरान रक्तस्राव और सेप्सिस के कारण भी इन माताओं की मृत्यु के जोखिम में वृद्धि होती है।

एनएफएचएस - 4 से यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश में 15-19 वर्ष की आयु की 7.3 प्रतिशत महिलाएं पहले से ही माँ थी या गर्भवती थी; दूसरे शब्दों में, 15-19 वर्ष की आयु की 13 महिलाओं में से 1 ने बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया था। किशोरी माता से पैदा हुए शिशुओं में भी उम्र के हिसाब से ठिगना रह जाने का खतरा बढ़ जाता है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि जब माँ की उम्र 20 साल से कम होती है तो नवजात मृत्यु दर में 150% की वृद्धि होती है। किशोरी गर्भधारण से कुपोषण की संभावना 10% बढ़ जाती है और विश्व स्तर पर एक तिहाई से अधिक बच्चों की मृत्यु पोषण की कमी के कारण होती है (ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2013। लैंसेट 2015)।

कम उम्र में, असुरक्षित और जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, गर्भ निरोधक के बारे में सीमित ज्ञान और गर्भ निरोधक साधनों तक उनकी पहुँच, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँच की कमी और यौन संचारित संक्रमणों के संपर्क में आना, बाल विवाह और गर्भावस्था से जुड़ी हुई कमजोरियों को जन्म देता है और उन्हें तेज़ी से बढ़ाता है।

बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण के कारण समय से पूर्व जन्म, जन्म के वक्त कम वजन और नवजात शिशु और मातृ मृत्यु दर प्रभाव डालते हैं। बाल विवाह और किशोर गर्भधारण का रूकना बच्चों, किशोर-किशोरियों,विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के विकास और बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए म.बा.वि.विभाग सक्षम बनाएगा।

- **बच्चों के खिलाफ हिंसा**

यौन हिंसा, शारीरिक दंड, छेड़-छाड़, पीछा करना और यौन उत्पीड़न सहित बच्चों और किशोरों के खिलाफ हिंसा (वीएसी) व्यापक है। घर और स्कूल में शारीरिक दंड को एक "शैक्षिक" और अनुशासनात्मक उपाय के रूप में

2 [आर एस ओ सी २०१३-१४]

देखा जाता है और यह माता-पिता, शिक्षकों और समुदाय के मन में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। बच्चों के खिलाफ हिंसा स्कूलों, बाल देखरेख संस्थानों, घरों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थलों ग्रामीण और शहरी समुदायों में, ऑनलाइन(या इन्टरनेट), सड़क पर, सार्वजनिक परिवहन पर, पुलिस स्टेशनों पर और यहां तक कि महिलाओं और लड़कियों के शौचालय जाने पर भी होती है। किशोरियों के साथ अक्सर घर और स्कूल के बीच आवागमन के दौरान छेड़खानी की जाती है और कई मामलों में इस उत्पीड़न से बचने के लिए वे स्कूल जाना भी छोड़ देती हैं।

भारत में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा व्याप्त है। एनएफएचएस 4 के अनुसार, मध्य प्रदेश में 15-49 वर्ष की आयु की 33 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने कभी-कभार घरेलू हिंसा का अनुभव किया है, जबकि इसी आयु वर्ग में 3.3% विवाहित महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान हिंसा का अनुभव किया है। नीचे दी गई तालिका में मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ हिंसा के बारे में कुछ अन्य प्रमुख आँकड़े इस मार्गदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 12-13 पर दिए गए हैं।

स्कूल, घर और कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा का मनोसामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा है। म.बा.वि. विभाग की मुख्य भूमिका बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करना है। विशेष रूप से महिलाओं और किशोरियों के लिए बाल अधिकारों, बाल संरक्षण, बच्चों की वंचित्ताओं और बाल संरक्षण सेवाओं, योजनाओं और संरचनाओं को सभी स्तरों पर उपलब्ध कराना है।

- **बालश्रम**

बाल श्रम का मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से बच्चों के किसी भी प्रकार के काम से जोड़ना जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है, उन्हें स्कूल जाने से रोकता है और बचपन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ बच्चे के विकास के लिए भी खतरनाक और हानिकारक होता है। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016, 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों का सभी व्यवसायों में जुड़ाव पर प्रतिबंध लगाता है और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों (14-18 वर्ष) के जुड़ाव पर भी प्रतिबंध लगाता है।

हालांकि, गरीबी और सामाजिक असुरक्षा के कारण कई किशोर- किशोरियों को परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए बाल श्रम में जुड़े होने के कारण अक्सर स्कूल छूट जाता है। वे पारिवारिक उद्यम में लगे रहते हैं या बाहर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, कई लड़कियां स्कूल से बाहर हो जाती हैं क्योंकि उन्हें घरेलू काम के लिए ज़िम्मेदारी दी जाती है जैसे कि भाई-बहन की देखभाल करना, खाना बनाना, सफाई, पानी और घर के खेत में खेती आदि। गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों की कम उम्र में काम शुरू करने की अधिक संभावना रहती है।

बाल श्रम बच्चों को विकास के अवसरों से वंचित करता है। उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के अवसर को छुड़वा देता हैं। बाल श्रम में लगे बच्चे हिंसा और यौन शोषण के आसान शिकार हैं। बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार होने के नाते, म.बा.वि. विभाग को ऐसे हस्तक्षेपों/ कार्यक्रमों का अमल करना चाहिए जो बच्चों को श्रम से दूर रखने का लक्ष्य रखते हैं।

- **स्कूल से बाहर बच्चे**

स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों के स्कूल में दाखिले का प्रतिशत प्राथमिक से माध्यमिक स्कूल तक पहुंचने में काफी तेज़ी से कम हो जाता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बालिकाऐं प्राथमिक शाला के बाद सबसे अधिक शाला त्यागी होती हैं। किशोर- किशोरियों के स्कूल छोड़ने की दर 53 प्रतिशत तक

बढ़ी हुई है। माध्यमिक शाला के बाद किशोर-किशोरियों का ठहराव और आठवीं पास करने का अनुपात बहुत खराब हो जाता है।

म.बा.वि. विभाग की समुदाय में शिक्षा के लिए रचनात्मक और सकारात्मक माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है ताकि स्कूलों में, विशेष रूप से लड़कियों को दाखिला दिया जाए और उनके ठहराव के लिए प्रयास किया जाए।

बाल विवाह और बच्चों के खिलाफ हिंसा तथा म.बा.वि.विभाग की भूमिका : मंच और अवसर

पदाधिकारी	योजना/ कार्यक्रम	मंच या मौके	किशोर सशक्तिकरण और बाल विवाह को समाप्त करने में संबंधित पदाधिकारियों की भूमिका
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	बाल अधिकारों पर सामान्य गतिविधियां	• गृह भ्रमण • किशोरी बालिकाओं से बैठक करना • माताओं/ महिलाओं के साथ बैठक • गांव स्वास्थ्य पोषण दिवस • ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की सामुदायिक बैठक	1. समुदाय में बाल विवाह, बच्चों के खिलाफ हिंसा, बाल श्रम और शाला त्यागी बच्चों और बच्चों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ
			2. बाल विवाह निषेध अधिनियम, पॉक्सो, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, और शिक्षा का अधिकार आदि के तहत कानूनी प्रावधानों के बारे में समुदाय को जानकारी देवें।
			3. विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पात्र बच्चों और महिलाओं का समर्थन करें।
			4. देखरेख एवं संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों को पहचानना और बाल संरक्षण समिति (सीपीसी)/ बाल कल्याण समिति(सीडब्ल्यूसी)/ जिला बाल संरक्षण इकाई (डिसीपीयू)/ चाइल्डलाइन को सूचित करें।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आई.सी.डी.एस.	आंगनवाड़ी केंद्र	1. गाँव में बाल अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करें और सीपीसी के ध्यान में लाएँ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	शाला त्यागी 11-14 वर्ष की किशोरियों को केंद्रित करती किशोरियों के लिए योजनाऐं (एसएजी)	आंगनवाड़ी केंद्र	1. 11-14 वर्ष की बालिकाऐं जो शाला से बाहर हैं उन्हें पहचानना।
			2. किशोरी समुह बनाने के लिए प्रयास करना और सखी और सहेली को चुनना।
			3. गृह भ्रमण और किशोरी दिवस के सत्रों के दौरान किशोरियों को परामर्श देना और उनके परिवारों को उनके स्कूल से जुड़ने के लिए प्रेरित करना।
			4. शिक्षकों को किशोरी दिवस में आने के लिए प्रयास करें और बालिकाओं को स्कूल या कौशल विकास प्रशिक्षण में दाखिला लेने के लिए प्रेरित करें।
			5. ग्राम सभा की बैठकों में बालिकाओं की शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा सुनिश्चित करें।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	लाड़ली लक्ष्मी योजना	आंगनवाड़ी केंद्र	1. लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ उठाने के लिए परिवारों को उन्मुखीकरण करना और आवेदन करने में समर्थन करना।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	शौर्य दल	आंगनवाड़ी केंद्र	1. आंगनवाड़ी स्तर पर शौर्य दल बनाने के लिए सहयोग करना।
			2. बाल विवाह निषेध अधिनियम, पॉक्सो, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, और शिक्षा का अधिकार आदि के तहत कानूनी प्रावधानों के बारे में शौर्य दल के सदस्यों को जानकारी देवें।
			3. समुदाय में जागरुकता लाने के लिए शौर्य दल के सदस्यों को सहयोग करना।

			4. समुदाय में बाल यौन शोषण सहित बाल अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करना और सीपीसी के समक्ष लाना। सीपीसी के सामने आये प्रकरणों पर उचित कार्यवाही करने में सहयोग देना और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त अधिकारियों को संदर्भित करना।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	वन स्टॉप सेंटर	आंगनवाड़ी केंद्र	1. वन स्टॉप सेंटर के प्रावधानों के बारे में माताओं और किशोरियों के बीच जागरूकता लाना।
			2. बालिकाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को पहचानें और उनको वन स्टॉप सेंटर में संदर्भित करना।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	उषा किरण योजना	आंगनवाड़ी केंद्र	1. उषा किरण योजना के प्रावधानों के बारे में महिलाओं और किशोरियों में जागरूकता लाना।
			2. प्रकरणों को पहचानना और संदर्भित करना।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	लाडो अभियान	आंगनवाड़ी केंद्र	1. स्कूलों में बाल विवाह के मुद्दे पर संवेदीकरण कार्यक्रम को करवाने में सहयोग करना।
			2. बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानों और कानून का उल्लंघन करने के दुष्परिणामों के बारे में नाई, पुजारियों, टेंट हाउस मालिकों, प्रिंटिंग प्रेस मालिकों, कैटरर्स आदि जैसे समुदाय में सेवा प्रदाताओं को जानकारी देवें। उन्हें बाल विवाह का समर्थन नहीं करने और सीपीसी के किसी भी संभावित मामलों की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित करें।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति	मासिक बैठक	1. गाँव में संभावित बाल अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करें और उन्हें वी.एच.एस.एन.सी., सी.पी.सी. और ग्राम पंचायत के संज्ञान में लाएँ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस (वी. एच.एस.एन.डी.)	मासिक वी.एच. एस.एन.डी.	1. मातृ और बाल मृत्यु पर विशेष रूप से बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं के कारण होने वाली मौतों पर चर्चा।
			2. प्रसव पूर्व लिंग चयन की रोकथाम और प्रसव पूर्व लिंग चयन की अवैधता के लिए संचार गतिविधियाँ करना।
			3. महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2006 और पॉक्सो अधिनियम पर जानकारी प्रदान करें।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (सी. पी.सी.)	1. ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति (सी. पी.सी.) के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका को पहचाने।
			2. समुदाय में बाल अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करें और सी.पी.सी. के ध्यान में लाएं। जवाब देने के लिए सी.पी.सी. की सुविधा दें और यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त अधिकारियों को संदर्भित करें।
			3. ब्लॉक स्तरीय सी.पी.सी. और जिला बाल संरक्षण सोसाइटी में प्रकरणों को संदर्भित करना और रिपोर्ट करें।
			4. समुदाय में उन बच्चों की पहचान करना जो हिंसा के शिकार हो सकते हो और प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण योजना को विकसित करने के लिए सीपीसी का सहयोग करें और इसे सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा करें।
			5. गाँव में बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें और 'बच्चों के समुह' बनाने में सहयोग करें।

सखी और सहेली	शाला त्यागी 11-14 वर्ष की किशोरियों को केंद्रित करती किशोरियों के लिए योजनाऐं (एसएजी)	किशोरी समुह	1. योजना में शामिल होने के लिए किशोरियों को प्रेरित करना। 2. किशोरी समूह के सदस्यों को सहायता प्रदान करें। 3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति की मदद से जागरूकता फैलाने वाली गतिविधियों जैसे कि कला जत्थों और नुक्कड़ नाटकों आदि का संचालन करना।
ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति (बीसीपीसी)	आई.सी.पी.एस.	बी.सी. पी.सी.	1. ब्लॉक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए गतिविधियाँ। 2. ग्राम स्तर सीपीसी से इनपुट के माध्यम से, ब्लॉक में देखरेख एवं संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों की पहचान करना और ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण योजना विकसित करें। 3. ब्लॉक स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं की निगरानी करें।
जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)	समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	डी.सी.पी.यू.	1. प्रभावी नेटवर्किंग के माध्यम से और आई.सी.डी.एस. पदाधिकारियों, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एस.ए.ए.), बाल संरक्षण के मुद्दों पर काम करने वाली गैर-सरकारी संगठनों, शहरी स्थानीय निकाय आदि के साथ संपर्क कर उन परिवारों की पहचान करना जहाँ बच्चों के संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता हो। 2. जिले में बच्चे से संबंधित सभी सेवा प्रदाताओं और सेवाओं को चिन्हित कर संसाधन निर्देशिका बनायें।

			3. जिला / शहरी स्तरों पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को लागू करना अर्थात आवश्यकतानुसार प्रत्येक जिलों में जेजेबी, सीडब्ल्यूसी, एसजेपीयू और ज़िलों के क्लस्टर में गृह स्थापित करना।
			4. कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों की स्थापना सुनिश्चित तथा उनका क्षमतावर्धन करना।
			5. बच्चों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए बाल संरक्षण प्रणाली के तहत काम करने वाले सभी कर्मियों (सरकारी और गैर-सरकारी) को प्रशिक्षित करना और उनकी क्षमता निर्माण करना।
जिला स्तरीय बाल संरक्षण समिति (डीसीपीसी)	समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)	डीसीपीएस	1. जिले में आईसीपीएस के समग्र क्रियान्वयन के साथ-साथ जिला बाल संरक्षण सोसाइटी (डीसीपीएस) की गतिविधियों को निरीक्षण करना।
विभाग	आंगनवाड़ी भवन	दीवार लेखन	विभाग सभी आंगनवाड़ियों पर बाल संरक्षण के कानूनों की दीवार लेखन करायें ताकि आने वाली महिलाओं को उसकी जानकारी दी जा सके।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी भवन	सर्वे	शाला त्यागी बच्चियों के माता पिता के साथ गृहभेंट के दौरान सम्पर्क कर उन्हें बैठक हेतु आमंत्रित करेगी व बैठक के दौरान उपरोक्त मुददों पर चर्चा करेगी।
ब्लॉक व जिला स्तरीय कर्मचारी		निरीक्षण व मासिक बैठक के दौरान	प्रशिक्षण के उपरांत उपरोक्त मुददों पर जानकारी प्राप्त करें ताकि समय से नियमानुसार प्रगति का पता चले।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका	गांव	सामूहिक विवाह या विवाह के महीनों में	समय - समय पर किशोरियों व उनके माता पिता के साथ सतत् सम्पर्क में रहे व बाल विवाह अधिनियम की जानकारी दें। साथ में अन्य विभागों के ग्राम स्तर के कार्यकताओं जैसे आशा का सहयोग लें।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका	गांव	ग्रामसभा व अन्य निर्णायक बैठक	जागरूक महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करे साथ ही मुद्दे की कार्ययोजना पर चर्चा करें।
विभाग		प्रशिक्षण	प्रशिक्षण के मॉड्यूल में बाल विवाह, लिंग विभेद और बाल संरक्षण को शामिल करें ताकि प्रत्येक स्तर पर कार्यकर्ता को जानकारी प्राप्त हो।

किशोर सशक्तिकरण और बाल संरक्षण प्राथमिकताएं : शिक्षा विभाग की भूमिका

पृष्ठभूमि

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अधिनियम प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। आरटीई अधिनियम देश में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र कानूनी प्रावधान है। सतत् विकास लक्ष्य यानी एसडीजी[1] के लक्ष्य 4 भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- स्कूल में सभी बच्चों का नामांकन।
- उच्च प्राथमिक स्तर तक सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव (Retention)।
- नामांकन, अवधारण और सीखने में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को ख़त्म करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सीखने की उपलब्धि के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) आरटीई अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (यूईई) को प्राप्त करने के लिए भारत का प्रमुख कार्यक्रम है और एसडीजी 4 को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है। एसएसए को पूरे देश में कवर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर लागू किया जा रहा है और 11 लाख बस्तियों में लगभग 19.20 करोड़ बच्चों[2] की जरूरतों को संबोधित करते हैं।

वर्षों से, भारत में एसएसए के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है, नामांकन दर में सुधार हुआ है, स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है और लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय की उपलब्धता और सुरक्षित पेयजल सहित स्कूल में सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है।

लेकिन फिर भी, सभी बच्चे स्कूल और सीखने की प्रक्रिया में नहीं हैं। स्कूल छोड़ने की दर उच्च है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और लड़कियों के बीच लोअर प्राथमिक ग्रेड के पूरा करने के मामले में यह और ज्यादा है।

---

1 [सतत् विकास लक्ष्य (SDG) वर्ष 2030 के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों का एक संग्रह है। भारत सरकार सतत् विकास लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध है।

एसडीजी 4 "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" के बारे में बात करता है यानी "समावेशी और गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना"। [लक्ष्य 4.1 है, "2030 तक, सुनिश्चित करें कि सभी लड़कियों और लड़कों को मुफ्त, समान और गुणवत्ता वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिले और जो प्रभावी सीखने के परिणामों को हासिल कर सके"।]

2 [https://www.aicte-india.org/reports/overview/Sarva-Shiksha-Abhiyan]

बाल विवाह की व्यापकता, श्रम में बच्चों की भागीदारी और घर में, स्कूल में और व्यापक समाज में बच्चों के खिलाफ हिंसा कुछ प्रमुख कारक हैं जो बच्चों को स्कूल से बाहर धकेलते हैं। स्कूली बच्चों की स्कूल छोड़ने की उच्च संख्या के मुद्दे को हल करने के लिए किसी भी रणनीति में इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि "सभी बच्चे स्कूल और सीखने की प्रक्रिया में हो" के लिए विभिन्न स्तरों के शिक्षा अधिकारियों को बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा के मुद्दों को दूर करने के लिए अपने प्रयासों में योगदान देना चाहिए।

बाल संरक्षण प्राथमिकताओं के साथ शिक्षा परिणामों के संबंध

- **बाल विवाह**

स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बीच स्कूल में दाखिला काफी कम हो जाता है। किशोरों में स्कूल छोड़ने की दर 53 प्रतिशत है। विशेष रूप से लड़कियों के बीच माध्यमिक स्तर के बाद अवधारण और पूर्णता दर बहुत खराब है। और इनमें से कई लड़कियां शादीशुदा होने के कारण स्कूल छोड़ देती हैं।

एनएफएचएस - 4 से पता चलता है कि मध्यप्रदेश में 20-24 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं में से 32.4 प्रतिशत का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले कर दिया गया था, जबकि 25-29 वर्ष की आयु के 31.2 प्रतिशत पुरुषों का विवाह 21 वर्ष की आयु से पहले कर दिया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कम शिक्षा वाले गरीब परिवारों की लड़कियों की कम उम्र में शादी होने की अधिक संभावना है और उन्हें स्कूल से बाहर निकालने का जोखिम है।

डीएलएचएस-3 का आंकड़ा, स्पष्ट रूप से बाल विवाह और लड़कियों द्वारा प्राप्त शिक्षा के बीच एक संपर्क को दर्शाता है। एक लड़की की शिक्षा का स्तर जितना ऊँचा होगा, बाल विवाह से बचने का मौका उतना ही अधिक होगा। केवल माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वालों की तुलना में जो लड़कियाँ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरा करती हैं तो उनमें बाल विवाह से बचने की संभावना अधिक होती है। नीचे आंकड़ा[3] देखें।

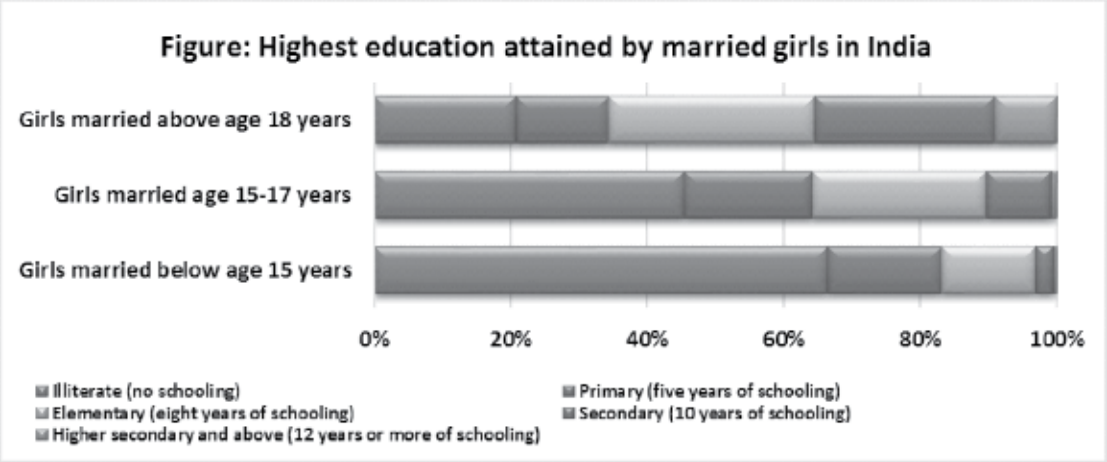

बाल विवाह को रोकने से किशोरों को विशेषकर लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी।

3 [भारत में बाल विवाह को कम करना : परिणामों को बढ़ाने के लिए एक मॉडल, बजट और नीति अध्ययन केंद्र और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, नई दिल्ली, 2015] देखें।

- **बाल श्रम**

बाल श्रम बच्चों को उनके बचपन से वंचित करने वाले धन कमाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के काम में बच्चों के रोजगार को संदर्भित करता है, उन्हें स्कूल जाने से रोकता है और बचपन के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ बच्चे के विकास के लिए खतरनाक और हानिकारक है।

बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाता है और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों (14-18 वर्ष) को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाता है।

हालांकि, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा की कमी, कई किशोर लड़कियों और लड़कों को अक्सर परिवार की आय जुटाने के लिए श्रम में संलग्न कर स्कूल से बाहर निकाल देती है। वे पारिवारिक उद्यम में लगे रहते हैं या बाहर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, कई लड़कियां स्कूल से बाहर निकल जाती हैं क्योंकि उन्हें घरेलू काम के लिए ज़िम्मेदार बनाया जाता है जैसे कि भाई-बहन की देखभाल, खाना बनाना, सफाई, पानी और घरेलू खेती आदि। ग़रीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए कम उम्र में काम करना शुरू करने की संभावना अधिक होती है।

यह सुनिश्चित करना कि बच्चे स्कूल में रहें और श्रम कार्य के लिए स्कूल से बाहर न निकलें, उच्च प्राथमिक स्तर तक स्कूल में सभी बच्चों की अवधारण सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में शिक्षा विभाग को मदद मिलेगी।

- **बच्चों के खिलाफ हिंसा (VAC)**

यौन हिंसा, शारीरिक दंड, धमकाने, घूरने और यौन उत्पीड़न सहित बच्चों और किशोरों के खिलाफ हिंसा (वीएसी) व्यापक है। घर और स्कूल में शारीरिक दंड को एक "शैक्षिक" और अनुशासनात्मक उपाय के रूप में देखा जाता है और यह माता-पिता, शिक्षकों और समुदाय के मन में गहरी जड़ें जमा लेता है। बच्चों के खिलाफ हिंसा स्कूलों, चाइल्ड केयर संस्थानों, घरों, कार्यस्थलों, ग्रामीण और शहरी समुदायों में, ऑनलाइन, सड़क पर, सार्वजनिक परिवहन पर, पुलिस स्टेशनों पर और यहां तक कि महिलाओं और लड़कियों के शौचालय जाने पर भी होती है। किशोरावस्था की लड़कियों को अक्सर घर और स्कूल के बीच आवागमन के दौरान परेशान किया जाता है और कई मामलों में इस उत्पीड़न से बचने के लिए वे स्कूल जाने से बचती हैं।

भारत में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा व्याप्त है। एनएफएचएस 4 के अनुसार, मध्यप्रदेश में 15-49 वर्ष की आयु की 33 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने कभी कभार छिटपुट हिंसा का अनुभव किया है, जबकि इसी आयु वर्ग में 3.3% विवाहित महिलाओं ने किसी भी गर्भावस्था के दौरान हिंसा का अनुभव किया है। मध्यप्रदेश में बच्चों के खिलाफ हिंसा के बारे में कुछ अन्य प्रमुख आंकड़ें इस मार्गदर्शिका में पृष्ठ क्रमांक 12-13 पर दिए गए हैं।

स्कूल, घर और कहीं और किसी भी तरह की हिंसा का मनोसामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा है और अक्सर इसके परिणामस्वरूप बच्चों में विशेष रूप से लड़कियों को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और उनकी शिक्षा बंद कर दी जाती है। स्कूल में बच्चों का प्रतिधारण सुनिश्चित करना एसएसए का एक प्रमुख उद्देश्य है।

- शिक्षा विभाग में बाल विवाह और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए किशोरों के साथ जुड़ने के लिए मंच और अवसर।

सेवा प्रदाता	मंच	अधिकारियों की भूमिका जो किशोर सशक्तिकरण और बाल विवाह के अंत के संबंध में निभा सकते हैं।
शिक्षक	कक्षा	1. नियमित रूप से उन बच्चों का, विशेष रूप से बालिकाओं का फॉलो अप करना जो स्कूल में अनियमित हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे स्कूल से ड्रॉपआउट न हो।
		2. बच्चों के साथ संवाद और परामर्श जैसी सकारात्मक अनुशासन तकनीकों का उपयोग करें और शारीरिक दंड देने से बचें।
		3. कक्षा में एक सक्षम वातावरण बनाएं जो बच्चों को किसी भी तरह के दुर्व्यवहार सहित किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसका उन्होंने स्कूल में, घर पर या कहीं और सामना किया हो।
		4. बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा और संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में बच्चों से बात करें।
		5. कक्षा का कोई भी बच्चा स्कूल में या स्कूल के बाहर हो रही हिंसा/ शोषण का शिकार हो सकता है। सतर्क और चौकस रहें, यदि कोई बच्चा असामान्य व्यवहार से डरा, सहमा या पीछे हटता है और संबंधित अधिकारियों को भी इसकी सूचना देता है। यदि आवश्यक हो, तो चाइल्डलाइन (टोल फ्री 1098), गैर-सरकारी संगठनों, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और डीसीपीयू की मदद लें।
		6. बच्चों को स्कूल, घर या कहीं और, एसएमसी या सीपीसी में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें। दुर्व्यवहार के मामलों की गुमनाम रिपोर्टिंग के लिए सुझाव बॉक्स का उपयोग करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें।
		7. बालिका समृद्धि योजना, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, महिला समाख्या, छात्रावास/ छात्रवृत्ति, सबला और केजीबीवी जैसी योजनाओं का उपयोग करने के लिए किशोर बच्चों को सूचित करें और उनका समर्थन करें।
प्रधानाध्यापक	विद्यालय	1. बच्चों द्वारा सामना की गई किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार की गुमनाम रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल में एक सुझाव बॉक्स स्थापित करें। सुझाव बॉक्स को इस तरीके से रखा जाना चाहिए कि बच्चे इसे आसानी से देख सकें।
		2. स्कूल में एक मित्र प्रणाली शुरू करें जिसमें एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा एक दूसरे के साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करें।

		3. बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा के मुद्दों को संबोधित करते हुए स्कूल में विशिष्ट कार्यक्रमों, गतिविधियों और अभियानों का आयोजन और उत्सव मनाएं।
		4. बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के संकेतों की पहचान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करें कि क्या करना है, अगर वे या कोई और व्यक्ति बच्चे के बारे में चिंतित है।
		5. एक शिक्षक को नामित और प्रशिक्षित करना जो स्कूल में बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए जिम्मेदार हो सकता है।
		6. एक बाल संरक्षण नीति का विकास करना।
प्रधानाध्यापक	पालक शिक्षक संघ (पीटीएम) की बैठक	1. पीटीएम बैठकों में माता-पिता के साथ बाल अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा करें।
		2. बच्चों के समग्र विकास के बारे में माता-पिता और शिक्षकों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए नियमित पीटीएम बैठकें आयोजित करना।
		3. माता-पिता को शारीरिक दंड का सहारा लेने के बजाय घर पर बच्चों को अनुशासित करने के लिए संवाद और परामर्श जैसी सकारात्मक सुदृढ़ीकरण तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
प्रधानाध्यापक	स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी)	1. स्कूली बच्चों की पहचान और मुख्यधारा के बारे में एसएमसी सदस्यों का क्षमता निर्माण।
		2. बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा और बच्चों का स्कूल से ड्रॉपआउट के प्रभावों के बारे में एसएमसी सदस्य को ओरिएंट करना।
		3. बाल विवाह अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में एसएमसी सदस्य को ओरिएंट करना।
		4. बाल संरक्षण के मुद्दों सहित बाल अधिकारों पर एसएमसी सदस्यों की नियमित बैठक और प्रशिक्षण आयोजित करना।
एसएमसी सदस्य	एसएमसी बैठक	1. स्कूली बच्चों की पहचान करना और उनके परिवारों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उनका समर्थन करना।
		2. स्कूल में संभावित बाल अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करें और उन्हें सीपीसी के नोटिस में लाएं।
		3. शारीरिक/ मानसिक शोषण के किसी भी मामले पर चर्चा करें जिसमें संबंधित शिक्षक या प्रधानाध्यापक के साथ शारीरिक दंड शामिल हैं। समस्या का समाधान न होने पर बीईओ / डीईओ सहित उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करें।

एसएमसी सदस्य	सामुदायिक स्तर की बैठकें और अभियान	1. शिक्षा के महत्व और आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के बारे में समुदाय में जागरूकता पैदा करना।
		2. पड़ोस से सभी पात्र बच्चों का नामांकन और निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करें।
		3. माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन, नियमित उपस्थिति, अवधारण और उच्च कक्षा में नामांकन करने के लिए समुदाय को प्रेरित करना।
		4. बाल श्रम में लिप्त बच्चों के माता-पिता को पहचानें और उनसे मिलें और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मनाएं।
		5. बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा और बच्चों का स्कूल से ड्रॉप आउट के प्रभावों के बारे में समुदाय में जागरूकता पैदा करना।
		6. बाल विवाह अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर समुदाय में जागरूकता पैदा करना।
		7. निम्न जैसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समुदाय में जागरूकता पैदा करें और सहयोग करें— 1) बालिका समृद्धि योजना (बालिका द्वारा प्रत्येक वर्ग में उसके द्वारा पूरा किए गए अध्ययन के बाद छात्रवृत्ति पाने की हकदार है) 2) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (शाला से बाहर के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच और खुले शिक्षण प्रणाली के माध्यम से वंचित किशोरों के लिए) 3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और लड़कियों के लिए छात्रावास/ छात्रवृत्ति 4) सबला (स्कूली छात्राओं के लिए जीवन कौशल शिक्षा, यौन परामर्श, नेतृत्व प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण) 5) केजीबीवी (आवासीय विद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यकों से 11-13 आयु वर्ग की लड़कियों को शिक्षा का प्रावधान)

किशोर सशक्तिकरण और बाल संरक्षण प्राथमिकताएं : स्वास्थ्य विभाग की भूमिका

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत निर्धारित राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मातृ और बाल स्वास्थ्य में सुधार और उनके जीवन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। एसडीजी SDG[1] (सतत विकास लक्ष्य) के लक्ष्य क्रमांक 3 में भी मातृ, नवजात और बाल मृत्यु दर को कम करने पर जोर दिया गया है।

मध्यप्रदेश में वर्तमान मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर 173 है जबकि इसका राष्ट्रीय लक्ष्य- (National Target Value[2]) प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर 70 है। (एसडीजी का लक्ष्य क्रमांक 3.1, वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है)। इसी प्रकार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 40 है जबकि इसका राष्ट्रीय लक्ष्य प्रति 1000 जीवित जन्म पर 11 है (एसडीजी का लक्ष्य क्रमांक 3.2, वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है)। मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर (IMR) प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 47 है जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।

मातृ, शिशु रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश शासन द्वारा RMNCH+A रणनीति कार्यान्वित की जा रही है। RMNCH + A एक समग्र रणनीति है जिसका निर्माण देखभाल की निरंतरता (continuum) की अवधारणा पर आधारित है। यह एक व्यापक रणनीति है जिसके तहत प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में किये जाने वाले सभी हस्तक्षेप शामिल हैं। साथ ही इसमें रणनीतिक जीवनचक्र दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस दृष्टिकोण का आधार यह है कि किशोर और प्रजनन स्वास्थ्य का मातृ और बाल स्वास्थ्य में सुधार पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। इसलिए मातृ और बाल स्वास्थ्य संकेतकों को अलगाव की स्थिति में नहीं सुधारा जा सकता है।

RMNCH + A दृष्टिकोण मानता है कि प्रजनन, मातृ और बाल स्वास्थ्य को अलगाव की स्थिति में संबोधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में आबादी के स्वास्थ्य की स्थिति से निकटता से जुड़े हुए हैं। एक किशोरी का स्वास्थ्य आने वाले समय में उसकी गर्भावस्था को प्रभावित करता है जबकि एक गर्भवती महिला का स्वास्थ्य नवजात और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। किशोरियों और युवतियों की पोषण की स्थिति उनके होने वाले बच्चों के जन्म के समय वजन और साथ ही उनके जीवित रहने की संभावना से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। शोध प्रमाणों से पता चलता है कि किशोर माताओं में गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित समस्याओं का जोखिम होता है।

---

1 [सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 17 वैश्विक लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों का एक संग्रह है जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। इनका निर्धारण संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में किया गया। भारत सरकार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

एसडीजी 3 "अच्छे स्वास्थ्य और सेहत" के बारे में बात करता है, यानी "स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के लिए सेहत को बढ़ावा देना"। लक्ष्य 3.3 का लक्ष्य है कि "सभी देशों में नवजात मृत्यु दर को कम से कम 12 प्रति 1,000 जीवित जन्म और कम से कम 5 वर्ष की उम्र तक के अन्दर मृत्यु दर को कम से कम 25 प्रति 1,000 जीवित जन्मों तक लाने का लक्ष्य ताकि 2030 तक, नवजात बच्चों एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की रोके जा सकने वाली मृत्यु को पूर्ण रूप से रोका जा सके।]

2 [एक मात्रात्मक राष्ट्रीय लक्ष्य जो कि 2030 तक प्राप्त किया जाना है। यह नीति आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है नीति आयोग राष्ट्र की प्रगति एवं इसके साथ ही सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर नजर रखता है।]

किशोर माताओं में उच्च मातृ और बाल मृत्यु दर के कारण इस बात पर ध्यान जाता है कि किशोर स्वास्थ्य को रणनीति के अभिन्न अंग के रूप में संबोधित किये जाने की आवश्यकता है ताकि मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। RMNCH + A में '+ A' दर्शाता है कि अन्य लोगों के बीच किशोरों को एक विशिष्ट 'जीवन-चरण' के रूप में शामिल किया गया है एवं इस पर आवश्यक रूप से ध्यान दिया गया है।

किशोर स्वास्थ्य

- किशोर अवस्था में गर्भधारण को संबोधित करना और किशोरों तक गर्भनिरोधक उपाय का प्रसार करना।
- साथी शिक्षकों (पीयर एजुकेटर) के माध्यम से समुदाय आधारित सुविधाओं पर जागरूकता फैलाना।
- अर्श क्लिनिक को मजबूत बनाना।
- राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल के साथ ही साप्ताहिक आईएफए पूरकता का क्रियान्वयन।
- माहवारी सम्बंधित स्वच्छता को बढ़ावा देना।

RMNCH + A दृष्टिकोण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, 5 X 5 मैट्रिक्स[3] बनाया गया है जो 5 विषयगत क्षेत्रों में 5 उच्च प्रभाव हस्तक्षेपों, 5 अंतर्विषयक (क्रॉस कटिंग) हस्तक्षेपों और 5 स्वास्थ्य प्रणाली के हस्तक्षेपों के सम्बन्ध में बात करता है। किशोर स्वास्थ्य इस मैट्रिक्स में 5 वां विषयगत क्षेत्र है और किशोर गर्भावस्था को संबोधित करता है अर्थात् बाल विवाह इसके अंतर्गत आने वाले 5 प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक है।

किशोर स्वास्थ्य के लिए RMNCH + A मुख्य हस्तक्षेपों के लिए लक्ष्य

- किशोर एवं किशोरियों (15-19 वर्ष) में एनीमिया को क्रमशः 30% और 56% की आधार रेखा से (NFHS 3) प्रतिवर्ष 6% कम करना।
- किशोरों (15-19 वर्ष) द्वारा योगदान की गई कुल प्रजनन क्षमता के अनुपात को 16% (एनएफएचएस 3) की आधार रेखा से प्रतिवर्ष 3.8% कम करना।

किशोरों में एनीमिया की व्यापकता को कम करना और बाल विवाह और उसके बाद के किशोर गर्भधारण की संख्या को कम करना आरएमएनसीएच + ए दृष्टिकोण के तहत किशोर स्वास्थ्य के लिए उच्च प्रभाव हस्तक्षेपों में से एक है। उन्हें संबोधित करने पर मातृ, नवजात और शिशु मृत्यु दर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए, विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य कर्मियों को बाल विवाह के मुद्दे को सम्बोधित करने की दिशा में अपना योगदान देना चाहिए।

बाल संरक्षण प्राथमिकताओं और स्वास्थ्य विभाग के परिणामों में परस्पर संबंध

• बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण

बाल विवाह राज्य में किशोरों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। NFHS - 4, 2015-16 के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु की 32.4% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले और 25-29 वर्ष की आयु के 31.2% पुरुषों की शादी 21 साल की उम्र से पहले हो गई थी।

कम आयु में विवाह के कारण अक्सर किशोरावस्था में गर्भधारण के प्रकरण होते हैं। कम आयु में विवाह और उसके बाद की गर्भावस्था, न केवल लड़कियों के लिए एक अधिकार का मुद्दा है, बल्कि यह उन्हें अपने जीवन

3 [RMNCH+A के लिए 5X5 मेट्रिक्स हेतु परिशिष्ट देखें]

के ऊपर खुद की अधिकारिता से भी रोकता है, साथ ही यह एक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी है। किशोरावस्था में गर्भधारण के कारण स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर जोखिम उत्पन्न होते हैं। ये जोखिम भारत में निरंतर उच्च मातृ मृत्यु दर (प्रति 100,000 जीवित जन्मों में होने वाली 130 मृत्यु) के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। AHS 2012-13 के अनुसार, मध्यप्रदेश में 15-19 वर्ष की आयु वर्ग में 11.6% मातृ मृत्यु होती है।

जन्म के समय कम वजन (LBW) बच्चे के अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है क्योंकि कम LBW वाले बच्चों में बिगड़ा हुआ विकास, उच्च मृत्यु दर और पुरानी वयस्क बीमारियों के होने (chronic adult diseases) का खतरा अधिक होता है। मध्यप्रदेश में, आरएसओसी 2013-14 के अनुसार, 23.1% शिशुओं का जन्म के समय कम वजन (LBW) होता है, अन्य कारणों के अतिरिक्त इसका मुख्य कारण मातृत्व कुपोषण और एनीमिया है। गर्भावस्था के पहले माँ की स्थिति क्या है इससे यह निर्धारित होता है कि गर्भावस्था का परिणाम क्या होगा।

15-18 वर्ष की 45.9[4] प्रतिशत लड़कियों का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) 18.5 kg/m2 से कम है। इस तरह का कुपोषण किशोरों को बीमारी और शीघ्र मृत्यु की ओर ले जाते हैं और किशोर माताओं के द्वारा कम वजन के बच्चों को जन्म देने के पीछे का कारण बनते हैं, साथ ही बच्चे के जन्म के दौरान ये रक्तस्राव और संक्रमण (सेप्सिस) के जोखिम को भी बढ़ाते हैं।

एनएफएचएस - 4 से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में 15-19 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं में से 7.3 प्रतिशत पहले से ही माता थी या गर्भवती थी, दूसरे शब्दों में, 15-19 वर्ष की आयु की 13 महिलाओं में से 1 ने बच्चे जन्म देना शुरू कर दिया था। किशोर माता से पैदा हुए शिशुओं में वृद्धि सम्बन्धी समस्या का अधिक जोखिम रहता है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि जब मां की उम्र 20 साल से कम होती है, तो नवजात मृत्यु दर में 150% की वृद्धि होती है। किशोरावस्था में गर्भधारण से कुपोषण की संभावना 10% बढ़ जाती है और विश्व स्तर पर एक तिहाई से अधिक बच्चों की मौत कुपोषण (ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2013, लैंसेट 2015) के कारण होती है।

कम उम्र में, असुरक्षित एवं बिना सहमती के यौन गतिविधियों से, गर्भनिरोधक के बारे में सीमित ज्ञान और उन तक पहुंच न होना, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच की कमी और यौन संचारित संक्रमणों के संपर्क में आने से शीघ्र विवाह और गर्भावस्था से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण के नियत अवधि से पहले जन्म, कम वजन के बच्चों का जन्म, और नवजात शिशु और मातृ मृत्यु दर को अत्यधिक प्रभावित करता है। और इसलिए, स्वास्थ्य संचालनालय को बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।

- **बच्चों के खिलाफ हिंसा**

बच्चों और किशोरों के खिलाफ हिंसा व्यापक स्तर पर होती है, जिसमें यौन हिंसा, शारीरिक दंड, परेशान करने, पीछा करने और यौन उत्पीड़न इत्यादि शामिल हैं। घर और स्कूल में शारीरिक दंड को एक "शैक्षिक" और अनुशासनात्मक उपाय के रूप में देखा जाता है और इनकी जड़ें माता-पिता, शिक्षकों और समुदाय के मन में काफी गहरे तक समाई हुई हैं। लिंग आधारित हिंसा विशेष रूप से किशोरियों के साथ की गयी हिंसा चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय है। एनएफएचएस 4 के अनुसार, मध्य प्रदेश में, 15-49 आयु वर्ग में, 33% विवाहित महिलाओं ने पति के द्वारा किए गये हिंसा का सामना करने की बात स्वीकारी, और 3.3% महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान हिंसा का सामना करने की बात कही।

4 [RSOC 2013-14]

लिंग आधारित हिंसा स्कूलों, बाल देख-रेख संस्थानों, घरों, कार्यस्थलों, ग्रामीण और शहरी समुदायों, ऑनलाइन, सड़क पर, सार्वजनिक परिवहन पर, पुलिस स्टेशनों पर और यहां तक कि महिलाओं और लड़कियों के शौचालय जाने के दौरान भी होती है। किशोरियों को अक्सर घर और स्कूल के बीच आवागमन के दौरान परेशान किया जाता है और कई मामलों में इस उत्पीड़न से बचने के लिए वे स्कूल जाने से बचती हैं।

लिंग आधारित हिंसा के कारण तात्कालिक के साथ-साथ दीर्घकालिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर असर भी हो सकता है। स्वास्थ्य के जोखिमों में चोट, असमय / अवांछित गर्भावस्था, यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) शामिल हैं जिनमें एचआईवी, निचले पेट (श्रोणी) में दर्द, जननांग में चोट, गर्भावस्था की जटिलताएं और लगातार चलने वाली स्वास्थ्य स्थिति शामिल हैं। लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित लोगों के मानसिक स्वास्थ्य प्रभावों में पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पश्च-अघात तनाव विकार-पीटीएसडी), अवसाद, चिंता, नशे का प्रयोग, आत्मघाती व्यवहार और आत्महत्या और नींद न आना आदि समस्या शामिल हैं।

ऐसे प्रकरणों में स्वास्थ्यकर्मी अक्सर संपर्क का पहला बिंदु होते हैं तथा उपचार और देखभाल और रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे मामलों की उपयुक्त अधिकारियों को रिपोर्ट करने और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने में स्वास्थ्य अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

बाल विवाह और बच्चों के खिलाफ हिंसा तथा स्वास्थ्य विभाग की भूमिका : मंच और अवसर

सेवा प्रदाता	योजना / कार्यक्रम	मंच	भूमिका
आशा	नवजात शिशु की घर पर देखभाल - (HBNC)	होम विजिट के दौरान अंतर्वैयक्तिक परामर्श (इंटरपर्सनल परामर्श (काउंसलिंग)	1. बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे संरक्षण मुद्दों पर माता-पिता और किशोर बच्चों को जागरूक करना। 2. गाँव में विषम परिस्थिति वाले बच्चों का चिन्हांकन। 3. माता-पिता और किशोर बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और बाल विवाह अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और POCSO अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना। 4. माता-पिता के बीच POCSO अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करें और यौन अपराधों व् बाल तस्करी सहित बाल शोषण के मामलों की पहचान करें।

आशा	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (VHSNC)	मासिक बैठकें	1. बाल संरक्षण जैसे बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा पर समुदाय में जागरूकता बढ़ाना। 2. गाँव में संभावित बाल अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करें और उन्हें सीपीसी और ग्राम पंचायत के संज्ञान में लाएँ।
आशा	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (RKSK)	पीयर एजुकेशन प्रोग्राम	1. बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे संरक्षण मुद्दों पर साथीया का क्षमता निर्माण।
			2. त्रैमासिक किशोर स्वास्थ्य दिवस (AHD) को आयोजित करने में साथियों को सहयोग प्रदान करें।
			3. किशोरों के अनुकूल क्लब (एएफसी) की बैठकों में भाग लें और बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा को संचालित करें।
आशा	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (RKSK)	किशोर स्वास्थ्य दिवस (AHDs)	1. किशोरों की खास जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए माता-पिता और किशोरों के परिवारों के साथ जुड़े।
			2. किशोरों, माता-पिता, परिवारों और हितधारकों के बीच और किशोर स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों जैसे बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा से संबंधित जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक तिमाही में AHDs का संचालन करें।
			3. बाल विवाह अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और POCSO अधिनियम के प्रावधानों के बारे में माता-पिता और बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए AHDs का उपयोग करें।
एएनएम	माहवारी स्वच्छता योजना (MHS)	किशोरियों के साथ मासिक बैठक	1.माहवारी स्वच्छता, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे संरक्षण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर होने वाली मासिक बैठकों या अन्य ऐसे अवसरों का उपयोग करें।

एएनएम	नियमित आउटरीच और परामर्श सेवाएं	होम विजिट के दौरान अंतर्वैयक्तिक परामर्श (इंटरपर्सनल परामर्श (काउंसलिंग)	1. बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे संरक्षण मुद्दों पर माता-पिता और किशोर बच्चों का उन्मुखीकरण।
			2. गाँव में विषम अवस्थाओं में रहने वाले बच्चों का चिन्हांकन।
			3. माता-पिता और किशोर बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और बाल विवाह अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और POCSO अधिनियम के प्रावधानों पर उन्मुखीकरण।
			4. माता-पिता के बीच POCSO अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करें और यौन अपराधों और बाल तस्करी सहित बाल शोषण के मामलों की पहचान करें।
एएनएम	नियमित आउटरीच और परामर्श सेवाएं	गांव और उप-केंद्र स्तर पर सामुदायिक बैठकें जैसे वीएचएनडी सत्र, ग्राम पंचायत बैठकें और स्थानीय स्व-सहायता समूह की बैठकें	1. बाल संरक्षण के मुद्दों जैसे बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा और बाल विवाह अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और POCSO अधिनियम के प्रावधानों पर जागरूकता पैदा करें।
			2. बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे सुरक्षा मुद्दों पर स्थानीय नेताओं और प्रभावित करने वाले लोगों की पहचान, उन्हें सम्वेदनशील करना और उनसे सहायता प्राप्त करना।
एएनएम	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (VHSNC)	मासिक बैठकें	1. बाल संरक्षण जैसे बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा पर समुदाय में जागरूकता बढ़ाना।
			2. गाँव में संभावित बाल अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करें और उन्हें सीपीसी और ग्राम पंचायत के संज्ञान में लाएँ।
एएनएम	ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस (VHND)	मासिक VHND	1.शादी की सही उम्र के बारे में माताओं और किशोरियों को परामर्श देना, लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाने का महत्व समझाना और लड़कियों के लिए उचित पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना।

			2. मातृ और बाल मृत्यु पर चर्चा का आयोजन करें विशेष रूप से बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं के कारण होने वाली मृत्यु।
			3. प्रसव पूर्व लिंग चयन की रोकथाम, और प्रसव पूर्व लिंग चयन की अवैधता के सम्बन्ध में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करना।
			4. महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2006 और POCSO अधिनियम पर जानकारी प्रदान करें।
एएनएम	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (RKSK)	पीयर एजुकेशन प्रोग्राम	1. किशोर क्लब (एएफसी) में मासिक सत्रों को मॉडरेट करें और चर्चा में बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे संरक्षण मुद्दों को शामिल करें।
एएनएम	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (RKSK)	किशोर के अनुकूल क्लीनिक (एएफसी)	1. विभिन्न गाँवों के साथिया से मिलकर बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे संरक्षण के मुद्दो को समझना एवं उनपर स्पष्टीकरण व् आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
एएनएम	साप्ताहिक आयरन फोलिक अनुपूरक (WIFS)	स्कूल विजिट के दौरान परामर्श (काउंसलिंग)	1. बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे संरक्षण के मुद्दों पर किशोरों को जागरूक करना।
			2. किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की पहचान और रिपोर्टिंग।
आरबीएसके टीम (2 आयुष चिकित्सक + 1 एएनएम / स्टाफ नर्स + 1 फार्मासिस्ट)	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम (RBSK)	मोबाइल स्वास्थ्य टीमों के द्वारा स्कूल का दौरा	1. अपने स्कूल विजिट के दौरान बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे संरक्षण मुद्दों पर छात्रों और शिक्षकों का उन्मुखीकरण।
			2. शिक्षकों को यौन शोषण से पीड़ित हैं या किशोर गर्भावस्था से गुजर चुके बच्चों की पहचान के लिए प्रशिक्षित करना।
			3. जरूरत पड़ने पर RBSK टीम बाल शोषण से प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान कर सकती है।

			4. RBSK टीम यौन शोषण, बाल संरक्षण और किशोर गर्भावस्था आदि पर डेटा संग्रह का स्रोत हो सकती है।
			5. समुदाय और बच्चों को किसी भी बाल अधिकार उल्लंघन के मामले में प्रतिक्रिया और संदर्भ तंत्र (जहां मदद लेने के लिए जाना है) के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करें।
			6. POCSO अधिनियम पर स्कूल प्रशासन को जागरूक करना और बाल संरक्षण के मुद्दों जैसे बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा पर कारवाई करने में उनकी मदद करना।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), जिला अस्पताल (डीएच) और मेडिकल कॉलेज में स्थित स्वास्थ्य अधिकारी (एम्.ओ.), एएनएम और काउंसलर	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (RKSK)	किशोर के अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (AFHCs)	1. बाल संरक्षण एवं किशोर स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे बाल विवाह, बाल श्रम, किशोर गर्भावस्था, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, मादक द्रव्यों के सेवन, बच्चों के खिलाफ हिंसा पर नैदानिक और परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
			2. बाल विवाह को रोकने के लिए किशोरियों को परामर्श सहायता प्रदान करना।
			3. AFHCs में प्रदान की गई सेवाओं और उसी की आवश्यकता के संबंध में समुदाय में जागरूकता पैदा करें।
			4. सामुदायिक स्तर पर POCSO अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
			5. एएफएचसी यौन शोषण और किशोर गर्भावस्था आदि से प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता भी प्रदान कर सकता है।
			6. किशोर स्वास्थ्य और बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे संरक्षण मुद्दों पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की क्षमता निर्माण।
			7. किशोर स्वास्थ्य और बाल संरक्षण जैसे सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री के लिए संग्राहक के रूप में कार्य करें जैसे पोस्टर, बैनर, पर्चे, ऑडियो-वीडियो सामग्री आदि।

			8. काउंसलर को सप्ताह में कम से कम दो बार स्कूलों, कॉलेजों, युवा क्लबों और समुदाय में आउटरीच सेवाओं का आयोजन कर किशोरों, देखभाल करने वालों और समुदाय के प्रभावशाली व्यक्तियों को किशोर स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवेदनशील बनाने के लिए और उन्हें उपलब्ध किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं से अवगत करना है।
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और ब्लॉक किशोर स्वास्थ्य समन्वयक	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यकम (RKSK)	पीयर एजुकेशन प्रोग्राम	1. एएफसी के कार्यप्रणाली की निगरानी (मॉनिटरिंग)।
चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स	साप्ताहिक आयरन फोलिक अनुपूरक (WIFS)	स्कूल भ्रमण के दौरान परामर्श (परामर्श (काउंसलिंग)	1. बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा जैसे संरक्षण मुद्दों पर किशोर बच्चों को जागरूक करना। 2. किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को पहचानें और रिपोर्ट करें।
ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारी	RMNCH+A	समीक्षा बैठक और क्षमता निर्माण कार्यक्रम	1. बाल विवाह, बाल श्रम और बच्चों के खिलाफ हिंसा और स्वास्थ्य परिणामों के साथ उनके संबंध जैसे संरक्षण के मुद्दों पर संबंधित टीमों की क्षमता निर्माण। 2. बाल विवाह सहित किशोर स्वास्थ्य को संबोधित करने वाले उच्च प्रभाव हस्तक्षेपों से जुड़े प्रगति और चुनौतियों पर समीक्षा बैठकों के दौरान चर्चा सुनिश्चित करें।
ब्लॉक स्तरीय सेवा प्रदाता	बालिका शिक्षा,बाल संरक्षण व बाल विवाह के मुददो पर प्रशिक्षण		ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर गाँव स्तरीय कार्यक्रमों में मुद्दों पर चर्चा करेगी।
आशा ,ए.एन.एम, अन्य स्वास्थ्य कर्मी	सामूहिक बैठक	ग्राम स्वास्थ्य एंव पोषण दिवस	बालिका शिक्षा, बाल संरक्षण व बाल विवाह के मुददों पर चर्चा करेगी।

आशा ,ए.एन.एम, अन्य स्वास्थ्य कर्मी, तर्दथ समिति के सदस्य, ग्राम वासी	मासिक बैठक	ग्राम स्वास्थ्य स्वस्थ ग्राम समिति बैठक	बालिका शिक्षा, बाल संरक्षण व बाल विवाह के मुददों पर चर्चा करेगी व कार्ययोजना बनाकर कार्य करेगी। जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जायेगी।
आशा ,ए.एन.एम, अन्य स्वास्थ्य कर्मी	परिवार परामर्श केन्द्रों को सक्रिय करना	परिवार परामर्श केन्द्र	परिवार परामर्श केन्द्रों पर बालिका शिक्षा, बाल संरक्षण, बाल विवाह समाप्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा व परामर्श दिया जायेगा।

किशोर सशक्तिकरण और बाल संरक्षण प्राथमिकताएं : पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका

पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए पंचायती राज अधिनियम, 1993 को लागू किया। स्थानीय प्रशासन और विकास गतिविधियों में पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रणाली की स्थापना की गई थी। संविधान के 73 वें संशोधन के बाद चुनाव कराने वाला यह पहला राज्य भी था।

2001 में, ग्राम स्वराज अधिनियम द्वारा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसने ग्राम सभाओं को मजबूत करने, विकास की योजना बनाने और लागू करने के लिए ग्राम सभा स्तर पर सीधे समितियों का गठन करके पंचायती राज की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, अपने पंचों में से तीन स्थायी समितियों का गठन करती है, अर्थात सामान्य प्रशासन समिति, निर्माण और विकास समिति और शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति, स्थायी समितियों[1] की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ नीचे दी गई हैं।

सामान्य प्रशासन समिति	निर्माण और विकास समिति	शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति
• प्रशासन	• सभी निर्माण कार्य की योजना, प्रबंधन, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करना	• विद्यालयों का निरीक्षण
• निर्माण योजनाओं की स्वीकृति	• विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का आयोजन करना, बजट बनाना और उनका क्रियान्वयन करना।	• शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणीकरण
• बजट	• ग्राम, कुटीर और खादी उद्योग को बढ़ावा देना, महिलाओं और बच्चों के लिए उद्यान और पार्क का विकास करना।	• गैर औपचारिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देना
• लेखा हिसाब	• भविष्य के लिए परियोजनायें प्रस्तावित करना, जिनमे ग्रामीण विद्युतीकरण, वन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, दुग्धालय, कृषि और सिंचाई आदि शामिल हो।	• समेकित बाल विकास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, टीकाकरण आदि कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना और उनका निरीक्षण करना

1 [प्रत्येक समिति में चार सदस्य होते हैं जिन्हें इस उद्देश्य के लिए बुलाए गयी ग्राम पंचायत की विशेष बैठक में पंचों में से चुना जाता है। सरपंच और उप सरपंच तीनों समितियों के पदेन सदस्य रहेंगे।]

• कर लगाना		• स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण एवं उपस्थिति का प्रमाणीकरण
• अन्य वित्तीय मामले		• समाज के पिछड़े और दिव्यांग वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना लागू करना।
• भूमि विकास और संरक्षण		• स्वच्छता और सफाई
• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति		• सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विकास एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाना
• 20 सूत्रीय कार्यक्रम		
• ग्राम पंचायत को आवंटित कोई अन्य कार्य जो किसी अन्य समिति को आवंटित नहीं किया गया।		

बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका

एक निर्वाचित निकाय के रूप में ग्राम पंचायत ग्राम निवासियों के विकास और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत के कार्यों में गाँव के सामाजिक-आर्थिक विकास और गाँव की सुरक्षा करना। बच्चे गाँव की आबादी के सबसे असुरक्षित और सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं और इसलिए ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह उनके अधिकारों की सुरक्षा करे।

संविधान की 11 वीं अनुसूची के अनुसार पंचायती राज संस्थानों को 29 विषयों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है जिसमें महिला और बाल विकास एक है। ग्राम पंचायत बच्चों के संरक्षण और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के लिए बच्चों द्वारा सामना किए गए विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों और उनके साथ किये जाने वाले व्यवहार के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करना आसान है। गांव के विकास और उसके सामाजिक कल्याण के जनादेश के तहत ग्राम पंचायत को बच्चों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्राम पंचायत का कर्तव्य है कि गाँव के सभी बच्चों का विकास सुनिश्चित करे।

बाल विवाह और बच्चों के खिलाफ हिंसा और पंचायत सदस्य की भूमिका : मंच और अवसर

बाल संरक्षण के मुद्दे	किशोर सशक्तिकरण और बाल विवाह के रोकने में भूमिका
स्कूल के बाहर बच्चे	1. स्कूल से बाहर बच्चों का चिन्हांकन करना और उनके अभिभावकों के साथ मिलकर उन्हें अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए प्रेरित करना।
	2. बच्चों के स्कूल ना जाने के कारणों को पहचानना और गाँव में नए प्राथमिक स्कूल खोलने की पैरवी सहित उचित समाधानों की पहचान करना।
	3. सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और लड़कियों सहित सभी पात्र बच्चे अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।
	4. ग्राम सभा की बैठकों में, स्कूल ना जाने वाले और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में समुदाय का उन्मुखीकरण करना।
बाल विवाह	1. ग्राम पंचायत को सभी नए जन्मों का पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए और समय पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए ताकि बाल विवाह के मामले में शादी को ट्रैक करना आसान हो सके।
	2. ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्पन्न कराये गए विवाहों का पंजीकरण किया जाये और पंजीकृत विवाह का रजिस्टर ठीक से रखा जाए ; बाल विवाह का कोई मामला संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए।
	3. बाल विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकारों पर ग्राम पंचायत द्वारा समुदाय को जागरूक करना।
	4. समुदाय को बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता करना।
	5. देश भर में बच्चों की शादी स्थानीय रीति-रिवाजों, मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर अखा तीज, राम नवमी, शिवरात्रि, बसंत पंचमी और अन्य त्योहारों पर की जाती है। ग्राम पंचायत को इन अवसरों के दौरान सतर्क रहना चाहिए। ग्राम पंचायत और बाल संरक्षण समिति (सीपीसी) को सभी संभावित बाल विवाहों पर नज़र रखनी चाहिए और अगर उन्हें संदेह है कि बच्चे का विवाह हो सकता है तो उपयुक्त अधिकारियों को सूचित करना चाहिए।
	6. ग्राम पंचायत को शिक्षकों को संवेदनशील करना चाहिए कि वे सभी बच्चों पर नज़र रखें एवं यदि कोई बच्चा लम्बे समय तक अनुपस्थित हो या बाल विवाह होने के संदेह की स्थिति में पंचायत और सीपीसी को तुरंत सूचित करना।
	7. ग्राम पंचायत को शाला प्रबंधन समिति के साथ काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे शिक्षा पूरी होने तक स्कूल में रहे और स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद बाल विवाह की संभावना को कम करने के लिए उन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाए।
	8. गाँव में बाल विवाह के आमंत्रण को अस्वीकार करना और बाल विवाह में पंचायत प्रतिनिधि या व्यक्तिगत रूप में किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करना।

बाल यौन शोषण और शारीरिक दंड सहित बच्चों के खिलाफ हिंसा	1. बच्चों के साथ लगातार संपर्क में आनेवाले सेवा प्रदाताओं जैसे कि AWW, ASHA, ANM और शिक्षक को प्रोत्साहित करें कि यदि दुर्व्यवहार की कोई भी घटना उनके ध्यान में आती है या यदि उन्हें लगता है कि कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो वे सीपीसी या अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
	2. किसी भी दुर्व्यवहार के मामले में, ग्राम पंचायत सदस्यों को पीड़ित के माता-पिता और परिवार की सलाह या समझाईश करनी चाहिए और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
	3. किसी भी दुर्व्यवहार के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो ग्राम पंचायत पुलिस को बच्चे और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कह सकती है।
	4. ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित बालक को आंगनवाड़ी केंद्र या स्कूल में किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े। वह अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम हो। ग्राम पंचायत क्षेत्र में भेदभाव के किसी भी मामले को एसएमसी/सीपीसी के नोटिस में लाया जाना चाहिए और तुरंत पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए।
	5. ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूलों सहित बच्चों के लिए सभी संस्थान सुरक्षित स्थानों पर स्थित हैं। यदि बच्चों को लंबी दूरी तय करनी है, तो ग्राम पंचायत को उनके आवागमन के दौरान सड़कों को समुदाय की मदद से सुरक्षित करनी चाहिए।
	6. अपने घरों में बच्चों को शारीरिक दंड ना देकर एक उदाहरण स्थापित करें।
	7. ग्राम पंचायतें माता-पिता, देखभालकर्ता और शिक्षकों को शारीरिक दंड से होने वाले प्रभाव पर शिक्षित कर सकती हैं। सीपीसी और अन्य संबंधित अधिकारियों को शारीरिक दंड के गंभीर मामलों की सूचना दी जानी चाहिए।
	8. एस एम सी की बैठकों में शारीरिक दंड के मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए।
	9. संस्थाओं और लीगल एड सेल की मदद से ग्राम पंचायत गाँव में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन कर सकती है ताकि लोगों को शारीरिक दंड के निहितार्थों के बारे में जागरूक किया जा सके।
	10.स्कूलों में शारीरिक दंड पर प्रतिबंध लगाने के लिए और किसी भी प्रकार के उल्लंघनों की निगरानी के लिए योग्य प्रक्रिया अपनाने के लिए एसएमसी और सीपीसी को संकल्पित करना।
	11.बाल कल्याण समिति, पुलिस, चाइल्ड लाइन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई आदि के नम्बरों को गाँव में सार्वजनिक स्थानों पर जैसे आगनवाड़ी केंद्र AWC, स्कूल, पुस्तकालय, डेयरियाँ, पंचायत कार्यालय, स्थानीय बाजार और बस स्टैंड आदि पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना ताकि बच्चे और उनके परिवारों की जरूरत के समय में बच्चों और उनके परिवारों की आसानी से पहुँच बन सके।

	12.देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत वाले किसी भी बच्चे के बारे में जानकारी होने पर ग्राम पंचायत सदस्यों को सीपीसी/सीडब्ल्यूसी/ डीसीपीयू/चाइल्डलाइन को सूचित करना चाहिए।
	13.“सभी बच्चे स्कूल में नामांकित हो और कोई शाला से बाहर न हो” , “बाल श्रम मुक्त गाँव” और “बाल विवाह नहीं” संकल्प ग्राम पंचायत द्वारा पारित किए जा सकते हैं।
	14.ग्राम पंचायत सदस्य स्कूलों में बच्चों तथा बच्चों के समूहों के साथ बातचीत कर सकते हैं ताकि बच्चों की समस्याओं को समझ सकें।
बाल श्रम	1. अभिभावकों को बच्चों को स्कूल न भेजने के दुष्परिणामों और बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पालकों को प्रोत्साहित करना।
	2. गाँव में ऐसा वातावरण बनाएँ जिसमें बच्चों को बालश्रम से बाहर निकाला जा सके और स्कूल भेजा जा सके।
	3. ग्राम स्तर पर सीपीसी और अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम पंचायत कामकाजी बच्चों वाले परिवारों या संभावित बाल श्रमिकों की सूची बना सकती है। ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी परिवारों को मनरेगा और पीडीएस योजनाओं के तहत सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो रहे हैं।
	4. बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों और कानून का उल्लंघन करने के परिणामों के बारे में नियोक्ताओं को सूचित करना। बच्चों के बजाय वयस्कों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
	5. आंगनवाड़ी केन्द्रों या स्कूल में झूलाघर (डे केयर इंफ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण करना ताकि माताएँ काम पर जा सकें और बड़े बच्चों को छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने के लिए स्कूल छोड़ने को मजबूर न होना पड़े।
	6. बच्चों की स्कूल तक पहुँच, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक अनुपस्थिति, नामांकन और स्कूल छोड़ने की दर, मध्याह्न भोजन और पीने के पानी और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग क्रियाशील शौचालयों के प्रावधानों के मुद्दों पर एसएमसी के साथ काम करना।
	7. ग्राम पंचायत में किसी भी खतरनाक स्थिति में काम करने वाले बच्चों की पहचान और बचाव करें। जिला प्रशासन/पुलिस/श्रम विभाग/बाल कल्याण समिति / जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करें और बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए उनकी मदद लें।

	8. उन सभी बच्चों के लिए एक रजिस्टर रखना जो काम के लिए परिवार या बिना परिवारों के गाँव से बाहर जाते हैं और इस तरह की जानकारी को नियमित आधार पर अपडेट करते रहना। उनकी जगह, काम करने की स्थिति और शिक्षा तक पहुंच जैसी जानकारी एकत्र कर यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लापता न हो या शोषणकारी परिस्थितियों में न फंसे हो।
	9. बच्चों को मौसमी छात्रावास से जोड़कर आजीविका के लिए अपने माता-पिता के साथ पलायन करने से रोकना।
	10.गाँव या आस-पास के क्षेत्रों में काम कर रहे 14 वर्ष से कम आयु के सभी स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान करें और एसएमसी की मदद से उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाना।
	11. स्कूल से बाहर बच्चे अपनी शिक्षा जारी रख सकें इसे सुनिश्चित करने का प्रयास करें। उन्हें छात्रवृत्ति, शैक्षिक सहायता और छात्रावास जैसे सभी योजनाओं से जोड़ें जिनके के लिए वे पात्र हैं।
	12. विभिन्न माध्यम जैसे दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक, रैलियों आदि से ग्राम पंचायत क्षेत्र में समुदाय की जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना।
	13.बाल संरक्षण सहित बाल अधिकारों के मुद्दों पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, बाल संरक्षण समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, स्थायी समिति और वार्ड सभा की बैठकों में नियमित रूप से चर्चा सुनिश्चित करें।
	14.सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को विभिन्न बाल संरक्षण मुद्दों, प्रासंगिक कानूनों और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए।
बाल तस्करी	1. बाल तस्करी के खतरों और इससे बच्चे को होने वाले नुकसान के बारे में गाँव में जागरूकता बढ़ाना।
	2. उन सभी बच्चों के लिए एक रजिस्टर रखना जो काम के लिए परिवार या बिना परिवारों के गाँव से बाहर जाते हैं और इस तरह की जानकारी को नियमित आधार पर अपडेट करते रहना। उनकी जगह, काम करने की स्थिति और शिक्षा तक पहुंच जैसी जानकारी एकत्र कर यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लापता न हो या शोषणकारी परिस्थितियों में न फंसे हो।
	3. ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गाँव में सभी जन्म और विवाह पंजीकृत हैं।
	4. यदि कोई बच्चा लापता है या अपहरण या बाल तस्करी का संदेह है, तो निकटतम पुलिस स्टेशन में तत्काल शिकायत दर्ज करें।
	5. ग्राम पंचायत को नियमित रूप से गांव में आने वाले अज्ञात लोगों पर नजर रखनी चाहिए।
	6. तस्करी के शिकार बच्चों के लिए गाँव में सहायता और एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने परिवारों और समुदाय के पास सफलतापूर्वक लौट सकें और उनका पुर्नवास किया जा सके।

बाल मैत्रीपूर्ण पंचायत बनाना	1. सभी पंचायत सदस्यों को बाल अधिकारों के बारे में पूर्ण समझ होनी चाहिए और उन्हें दूसरों में भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए।
	2. नियमित रूप से ग्राम सभाओं में बाल अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा करना।
	3. बाल अधिकार सभी पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों में एक प्रमुख एजेंडा बन जाए यह सुनिश्चित करें।
	4. गांव में बच्चों के समूह के गठन को बढ़ावा देना और बच्चों द्वारा सामना किए गए विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए उनकी बैठकों में भाग लेना।
	5. ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए बच्चों के समूह के सदस्यों को आमंत्रित करना और बच्चों से संबंधित मामलों पर अपनी राय साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।
	6. गाँव में बाल संरक्षण समिति का गठन करना।
	7. सभी पंचायत सदस्यों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और लाभ लेने के लिए पात्र बच्चों और परिवारों का सहयोग करना चाहिए।
	8. गाँव में बच्चों के साथ और बच्चों के लिए काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाताओं और समितियों के साथ नियमित रूप से संपर्क करना।
दीवार लेखन	ग्राम पंचायतों के भवनों पर बाल संरक्षण और बाल विवाह तथा बालिका शिक्षा के कानूनों को अंकित करवाना।
वर्तमान के लिए	जीपीडीपी की डीपीआर में सबकी योजना सबका विकास के साथ शामिल करवाना गाम पंचायत की ग्राम सभावार।
मुददे को ग्रामस्तर की प्रशिक्षण साम्रगी में डलवाना।	सरपंच, सचिव रोजगार सहायकों के प्रशिक्षण में बाल विवाह अधिनियम, बाल संरक्षण के विभिन्न कानून महिलाओं की सुरक्षा से सम्बधित कानूनों को शामिल कर उनको जागरूक करना।

बच्चे कई जोखिमों और खतरों की स्थितियों में आ सकते हैं। इन बच्चों का सहयोग करने के लिए, जिला स्तर पर विभिन्न सुरक्षा तंत्र हैं जिनसे ग्राम पंचायत संपर्क कर सकती है। ग्राम पंचायतें इन मुद्दों की रोकथाम, सभी हितधारकों के संवेदीकरण और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने या सीडब्ल्यूसी, पुलिस और डीसीपीयू जैसे जिला स्तर के निकायों की मदद लेने में कई भूमिका निभा सकती हैं। ग्राम पंचायत को सेवा प्रदाताओं जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम और स्कूल शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और ग्राम पंचायत को बाल मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए एसएमसी, सीपीसी और वीएचएनएससी जैसी ग्राम स्तर पर स्थापित विभिन्न समितियों के साथ समन्वय करना चाहिए जो ग्राम पंचायत में बच्चों का बचाव कर और उन्हें हिंसा मुक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकती है।

किशोर सशक्तिकरण और बाल संरक्षण प्राथमिकताएं : राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका

पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा लागू किया जा रहा है। आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार और दक्ष आधारित रोजगारों के अवसरों से गरीब परिवारों को जोड़ कर गरीबी को कम करना है। इसके परिणामस्वरूप समुदाय आधारित संरचनाओं और उद्यमों के माध्यम से गरीब परिवारों की आजीविका में सराहनीय सुधार हुआ है। एसआरएलएम एसडीजी लक्ष्य 1 (हर जगह हर रूप में गरीबी समाप्त करना) प्राप्त करने की दिशा में भारत सरकार के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक है।

एसआरएलएम आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले परिवारों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। एसआरएलएम का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :

- स्वयं सहायता समूह का गठन।
- गांव, क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर एसएचजी फेडरेशनों का गठन।
- जानकारी और कौशल, ऋण, विपणन और अन्य आजीविका सेवाओं तक पहुंच में सुधार।
- सभी गरीब परिवारों, एसएचजी और उनके संगठनों के लिए बुनियादी बैंकिंग जैसे वित्तीय समावेशन सेवाओं की सुविधा।
- रोजगार मेलों का आयोजन करके युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार सहित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।

आजीविका मिशन एसएचजी और उनके संघों को निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से ब्लॉक स्तर तक एक संवेदनशील समर्पित सहयोगात्मक संरचना है। इसे सामाजिक लामबंदी, संस्था निर्माण और आजीविका संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

बाल संरक्षण प्राथमिकताओं और आजीविका मिशन के परिणामों के परस्पर संबंध

बच्चे विशेषकर लड़कियां गाँव की आबादी का सबसे असुरक्षित और कमजोर वर्ग हैं और इसलिए उनकी समस्याएं समुदाय के विकास के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय होना चाहिए।

बाल विवाह, बाल श्रम, बच्चों के खिलाफ हिंसा और यौन शोषण, शारीरिक दंड सहित बाल संरक्षण के मुद्दों का बच्चों पर मनोवैज्ञानिक-सामाजिक प्रभाव पड़ता है। महिलाएं अक्सर बच्चों के सबसे करीब होती हैं और इसलिए वह बच्चों द्वारा सामना किये जाने वाली चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझ सकने में सक्षम हो सकती हैं। सभी बच्चे सकुशल और सुरक्षित वातावरण में रहें और उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित करने में महिलाओं की अग्रणी भूमिका हो सकती है।

साक्ष्य बताते हैं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त SHG प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। प्राथमिक देखभालकर्ता होने के नाते, बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना SHG सदस्यों के बीच एक आपसी पारस्परिक हित है। विभिन्न बाल संरक्षण मुद्दों का बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समुदाय में जागरूकता पैदा करने में SHG एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। SHG संभावित बाल अधिकारों के उल्लंघन की पहचान कर सकते हैं और उन्हें सीधे संबोधित कर सकते हैं या उन्हें संबोधित करने के लिए बाल संरक्षण समिति जैसे अन्य बाल सुरक्षा तंत्रों की मदद ले सकते हैं।

बाल विवाह और बच्चों के खिलाफ हिंसा और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका : मंच और अवसर

ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, बाल संरक्षण समिति (सीपीसी), स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी), एसएचजी जैसी अन्य समितियों की साप्ताहिक / मासिक बैठकों में चिन्हित किये गए बाल अधिकार के उल्लंघनों के मामलों एसएचजी सदस्यों द्वारा चर्चा की जा सकती है और जरुरत होने पर उसपर कोई कार्रवाई की जा सकती है।

हितधारक	बाल संरक्षण प्राथमिकताएं	किशोर सशक्तिकरण और बाल विवाह के रोकने में भूमिका
एस एच जी सदस्य	बाल अधिकारों पर सामान्य कार्रवाई	1. बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाना, यह सुनिश्चित करना कि बच्चों की शादी कानूनी उम्र पूरी होने के बाद ही की जाये और उनके साथ दुर्व्यवहार के मामलों में उचित कार्रवाई की जाए।
		2. सुनिश्चित करें कि सभी पात्र बच्चों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभ प्राप्त हो।
		3. गाँव में बच्चों के समूह के गठन का समर्थन करें और उनके मुद्दों को समझने के लिए उनके साथ लगातार बातचीत करें।
		4. सुरक्षित/ असुरक्षित स्पर्श पर बच्चों के समूह को समझाएं।
		5. देखभाल और संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों को चिन्हित करें और सीपीसी/सीडब्ल्यूसी/डीसीपीयू/चाइल्डलाइन को इसकी सूचना दें।
	स्कूल के बाहर बच्चे	1. स्कूल ना जाने वाले बच्चों का चिन्हांकन करें और उनके पालकों को अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए समझाएं और प्रोत्साहित करें।
		2. जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं स्कूल से बाहर बच्चों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है यह सुनिश्चित करें।

एस एच जी सदस्य	बाल विवाह	1. बाल विवाह से होने वाले स्वास्थ्य खतरों और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में समुदाय, विशेषकर माताओं और किशोरियों के बीच जागरूकता पैदा करना। उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक करना।
		2. देश भर में बच्चों की शादी स्थानीय रीति-रिवाजों, मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर अखा तीज, राम नवमी, शिवरात्रि, बसंत पंचमी और अन्य त्योहारों पर की जाती है। ग्राम पंचायत को इन अवसरों के दौरान सतर्क रहना चाहिए। ग्राम पंचायत और बाल संरक्षण समिति (सीपीसी) को सभी संभावित बाल विवाहों पर नज़र रखनी चाहिए और अगर उन्हें संदेह है कि बच्चे का विवाह हो सकता है तो उपयुक्त अधिकारियों को सूचित करना चाहिए।
		3. गांव में माताओं को समझाएँ कि वे बच्चों को उनकी शिक्षा पूरी होने तक स्कूल भेजें।
एस एच जी सदस्य	बाल यौन शोषण और शारीरिक दंड सहित बच्चों के खिलाफ हिंसा	1. बच्चों को सुरक्षित/असुरक्षित स्पर्श पर उन्मुख करना।
		2. बच्चों की बातें सुनें और उनके द्वारा साझा की गई जानकारी पर विश्वास करें।
		3. बच्चों को स्वयं को यौन शोषण से सुरक्षित रखने के विषय पर बच्चों को शिक्षित करें।
		4. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम और शिक्षकों जैसे सेवा प्रदाताओं के साथ लगातार संपर्क में रहें ताकि पता लगाया जा सके कि दुर्व्यवहार की कोई घटना उनके सामने आई है या यदि उन्हें लगता है कि कोई दुर्व्यवहार हुआ है। दुर्व्यवहार का मामला सीपीसी को सूचित किया जाना चाहिए।
		5. किसी भी दुर्व्यवहार के मामले में, एसएचजी सदस्यों को पीड़ित के माता-पिता और परिवार को समझाईश देनी चाहिए और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
		6. पीड़ित बच्चों के साथ आंगनवाड़ी और स्कूल में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और वे बिना रुकावट के अपनी शिक्षा जारी रख सके यह सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत क्षेत्र में भेदभाव या शोषण का कोई मामला आये तो एस एम सी/ सीपीसी के ध्यान पर लायें एवं पुलिस को सूचित करें।
		7. अपने घरों में बच्चों को शारीरिक दंड ना देकर एक उदाहरण स्थापित करें।

		8. शारीरिक दंड के निहितार्थ पर माता-पिता और देखभालकर्ता को जागरूक करना। सीपीसी और अन्य संबंधित अधिकारियों को शारीरिक दंड के गंभीर मामलों की सूचना दी जानी चाहिए।
		9. एसएमसी बैठकों में भाग लें और सुनिश्चित करें कि शारीरिक दंड का मुद्दा उठाया जाए।
		10.शारीरिक दंड के मामलों के निहितार्थ को लेकर गाँव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
		11.स्कूलों में शारीरिक दंड पर प्रतिबंध लगाने के लिए एसएमसी और सीपीसी के साथ वकालत (advocasy) करना।
		12. "सभी बच्चे स्कूल में नामांकित हो और कोई शाला से बाहर न हो", "बाल श्रम मुक्त गाँव" और "बाल विवाह नहीं" संकल्प एस एच जी द्वारा पारित किए जा सकते हैं।
		13.आंगनवाड़ी में किशोरियों और बच्चों के समूहों तथा अन्य मंचों पर बच्चों के साथ बातचीत करें ताकि उनकी समस्याओं को समझ सकें।
एस एच जी सदस्य	बाल श्रम	1. बच्चों को स्कूल न भेजने के दुष्परिणामों और बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में माता-पिता को जागरूक करना। उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें।
		2. ग्राम संगठनों की मदद से गाँव में एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें बच्चों को काम से बाहर निकाला जा सके और स्कूल भेजा जा सके।
		3. कामकाजी बच्चों, कामकाजी बच्चों के परिवार या संभावित बाल श्रमिकों की पहचान करना। ग्राम पंचायत और सीपीसी के साथ यह जानकारी साझा करना जिससे इन बच्चों एवं परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं जैसे मनरेगा और पीडीएस आदि का लाभ प्राप्त हो सकें।
		4. आंगनवाड़ी केन्द्रों या स्कूल में झुला घर (डे केयर इंफ्रास्ट्रक्चर) बनाएं जाए ताकि माताएँ काम पर जा सकें और छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने के लिए बड़े बच्चों को स्कूल छोड़ने को मजबूर न होना पड़े।
		5. गाँव या आस-पास के क्षेत्रों में 14 वर्ष से कम आयु के बाल श्रम में लगे हुए सभी स्कूल ना जाने वाले बच्चों की पहचान करें और एसएमसी की मदद से उन्हें स्कूल में दाखिला दिलायें।
		6. स्कूल से बाहर बच्चों को छात्रवृत्ति, शैक्षिक सहायता और छात्रावास आदि योजनाओं से जोड़ना ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

		7. विभिन्न माध्यम जैसे दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक, रैलियों आदि से ग्राम पंचायत क्षेत्र में समुदाय की जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना।
		8. ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, स्थानीय समितियों और वार्ड सभा की बैठकों में भाग लें और यह सुनिश्चित करें कि बाल संरक्षण सहित बाल अधिकारों के मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जा रही है।
		9. बाल संरक्षण मुद्दों, प्रासंगिक कानूनों और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी रखें।
एस एच जी सदस्य	बाल तस्करी	1. बाल तस्करी के खतरों और इससे बच्चे को होने वाले नुकसान के बारे में गाँव में जागरूकता बढ़ाना।
		2. उन सभी बच्चों के लिए एक रजिस्टर रखना जो काम के लिए परिवार या बिना परिवारों के गाँव से बाहर जाते हैं और इस तरह की जानकारी को नियमित आधार पर अपडेट करते रहना। उनकी जगह, काम करने की स्थिति और शिक्षा तक पहुंच जैसी जानकारी एकत्र कर यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लापता न हो या शोषणकारी परिस्थितियों में न फंसे हो।
		3. ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गाँव में सभी जन्म और विवाह पंजीकृत हैं।
		4. यदि कोई बच्चा लापता है या अपहरण या बाल तस्करी का संदेह है, तो निकटतम पुलिस स्टेशन में तत्काल शिकायत दर्ज करें।
		5. ग्राम पंचायत को नियमित रूप से गांव में आने वाले अज्ञात लोगों पर नजर रखनी चाहिए।
		6. तस्करी के शिकार बच्चों के लिए गाँव में एक अनुकूल वातावरण तैयार करना, ताकि वे अपने परिवारों और समुदाय के पास सफलतापूर्वक लौट सकें और उनका पुर्नवास सुनिश्चित किया जा सके।

सामुदायिक स्तर के मास्टर ट्रेनर	बाल अधिकारों पर सामान्य कार्रवाई	1. "जेंडर और सामाजिक सुरक्षा" पर प्रशिक्षण के भाग रूप में, SHG सदस्यों की निम्न मुद्दों पर उन्मुखीकरण करना। ● बाल विवाह से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरे और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन, बच्चों के खिलाफ हिंसा, बाल विवाह निषेध अधिनियम, पॉक्सो आदि कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना। ● बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के परिणाम, बाल श्रम के दुष्प्रभाव और आरटीई अधिनियम और बाल श्रम कानून के प्रावधान।
		2. गांव में विभिन्न बाल अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करने के लिए एसएचजी का सहयोग करना और उन मामलों पर कार्रवाई करने हेतु एक कार्य योजना विकसित करना चाहिए। इसके अलावा, नियमित रूप से उल्लंघन के खिलाफ निगरानी करना।
समूह के सदस्य	समूह व ग्राम संगठन की साप्ताहिक व पाक्षिक बैठक	बाल विवाह प्रतिषेध आधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट ,पी.सी.पीएनडीटी एक्ट, घरेलू हिसां पर चर्चा करेगी व उन्हें गांव इनका पालन करने के लिये प्रेरित करेगी।
ग्राम संगठन के सदस्य	ग्राम संगठन की पाक्षिक बैठक	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट, पी.सी.पीएनडीटी एक्ट पर चर्चा करेगी व उन्हे गांव इनका पालन करने के लिये प्रेरित करेगी।
समूह सदस्य	साप्ताहिक बैठक	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण,वन स्टाप सेंटर, कार्य स्थल पर माहिलाओं का यौन शोषण, दहेज, बाल विवाह अधिनियम।
ग्राम संगठन के सदस्य	ग्राम संगठन की पाक्षिक बैठक	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, वन स्टाप सेंटर, कार्य स्थल पर माहिलाओं का यौन शोषण, दहेज, बाल विवाह अधिनियम।
संकूल स्तरीय समूह सी.एल.एफ के सदस्य, डी.एल.एफ के सदस्य	मासिक बैठक	बाल विवाह प्रतिषेध आधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट, पी.सी.पीएनडीटी एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, वन स्टाप सेंटर, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन शोषण, दहेज, बाल विवाह अधिनियम पर माहवार चर्चा कर गांव से चयनित संकूल स्तरीय समूह में आयी महिलाओं के साथ चर्चा कर कार्य योजना बनाकर गांव स्तर पर उसका क्रियान्वयन करेंगे। साथ ही साथ सामाजिक उपसमिति की बैठक में इन मुददों पर चर्चा कर अनुपालन में उनकी समझ विकसित करेंगे।